भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिये
प्रतिवेदन

संख्या–1

(राजस्व प्राप्तियाँ)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय 1	**सामान्य**	
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	4
1.3	संग्रह की लागत	5
1.4	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	7
1.5	संग्रह का विश्लेषण	10
1.6	राजस्व के बकाये	10
1.7	लेखा परीक्षा के परिणाम	13
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	14
अध्याय 2	**व्यापार कर**	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	17
2.2	व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश	18
2.3	व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण-पत्र	25
2.4	विशेष महत्व के बिन्दु	30
2.5	गलत दर लगाए जाने के कारण कर का कम आरोपण	31
2.6	मालों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण	32
2.7	रियायती दर से कर का गलत आरोपण	32
2.8	जाली फर्म द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के विरूद्ध छूट	33
2.9	केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण	34

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.10	घोषणा पत्रों का दुरुपयोग	34
2.11	अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	35
2.12	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	37
2.13	पंजीयन की विहित प्रक्रिया का अनुपालन न करने से राजस्व की क्षति	38
2.14	कर से गलत छूट	38
अध्याय 3	**राज्य आबकारी**	
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	41
3.2	अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली	41
3.3	बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी अभिकर का न वसूल किया जाना	42
3.4	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	43
अध्याय 4	**मोटर वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	45
4.2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों का कर निर्धारण एवं संग्रहण	46
अध्याय 5	**स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस**	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	53
5.2	बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा करने से राजस्व की क्षति	53
5.3	सम्पत्ति का गलत मूल्यांकन करने से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	54
5.4	स्टाम्प शुल्क की गलत छूट	55

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय 6	**भू–राजस्व**	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	57
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	57
अध्याय 7	**अन्य कर प्राप्तियाँ**	
	क. विद्युत शुल्क	**59**
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	59
7.2	विद्युत शुल्क का अनारोपण	59
	ख. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार	**62**
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	62
7.4	गन्ने के क्रय कर का गलत आस्थगन	62
अध्याय 8	**वन प्राप्तियाँ**	
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
8.2	लीसा के कम उत्पादन से हानि	65
8.3	वृक्षों की अवैध कटाई	66
8.4	रायल्टी का वसूल न किया जाना	67
अध्याय 9	**अन्य विभागीय प्राप्तियाँ**	
	क. सहकारिता विभाग	**69**
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	69
9.2	संग्रह प्रभारों का न/कम जमा किया जाना	69
	ख. लोक निर्माण विभाग	**70**
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	70
9.4	सरकारी अतिथिगृहों एवं सरकारी भवनों से किराया प्राप्तियाँ	71

प्राक्कथन

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं बाजी कर, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 1998–99 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 24 प्रस्तर एवं 4 समीक्षायें सम्मिलित हैं जिसमें कर, अभिकर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण के 1025.00 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

1 सामान्य

- *वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (7912.31 करोड़ रुपये) तथा करेतर (1475.06 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के दौरान 8289.88 करोड़ रुपये के विपरीत 9387.37 करोड़ रुपये रहा। सहायता अनुदान सहित वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियाँ लगभग 7991.32 करोड़ थी। कर राजस्व में व्यापार कर (3377.89 करोड़ रुपये) तथा राज्य आबकारी (1631.34 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ही प्रमुख अंश (63.30 प्रतिशत) रही। करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ (428.00 करोड़ रुपये), अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग (145.81 करोड़ रुपये), वानिकी एवं वन्य जीवन (125.91 करोड़ रुपये), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (102.58 करोड़ रुपये) एवं शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति से (101.34 करोड़ रुपये) थी।*

- *वर्ष 1998–99 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में क्रमशः 13 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत बढ़ोत्तरी रही।*

(प्रस्तर 1.1)

- *वर्ष 1998–99 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में 1299.07 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2546 मामलों का पता चला। वर्ष 1998–99 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 189.36 करोड़ रुपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण आदि के 1348 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित*

170.52 करोड़ रुपये के 152 मामले वर्ष 1998–99 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा में इंगित किए गए थे।

(प्रस्तर 1.7)

- *1648.51 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि के 6429 निरीक्षण प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 1998 तक निर्गत) जिनमें 14565 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 1999 तक लम्बित थे।*

(प्रस्तर 1.8)

2. व्यापार कर

"व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय निर्धारण आदेश" पर एक समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *दो मण्डलों में केवल तीन व्यापारियों से सम्बन्धित 692.19 करोड़ रुपये कर एक पक्षीय आधार पर निर्धारित किया गया किन्तु वाद पुनः निर्धारण एवं अपील में होने के कारण बकाया पड़ा रहा।*

(प्रस्तर 2.2.4 (क))

- *2541 वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित 62.48 करोड़ रुपये अन्तिम माँग सृजित करने के उपरान्त भी नहीं वसूला गया।*

(प्रस्तर 2.2.4 (ख))

"व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण-पत्रों" पर एक अन्य समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *बकाया देय 1860.66 करोड़ रुपये यद्यपि वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थी, वसूली अभी भी नहीं हो पायी थी।*

(प्रस्तर 2.3.4)

- *839 मामलों में वसूली प्रमाण-पत्रों में अन्तर्विष्ट 9.20 करोड़ रुपये मांग से कम कर दिये गये थे तथा पूर्ण विवरण के अभाव में कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस कर दिये गये थे।*

(प्रस्तर 2.3.6 (क))

- *एक जिले में 9 व्यापारियों से सम्बन्धित 31 वसूली प्रमाण पत्रों में सन्निहित 5.07 करोड़ रुपये की 1 से 4 वर्ष की अवधि के बाद भी वसूली नहीं की गई।*

(प्रस्तर 2.3.6 (ख))

- *अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध निर्गत शासनादेशों के फलस्वरूप 5.58 करोड़ रुपये की अनधिकृत माफी की गई।*

(प्रस्तर 2.4)

3. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

"राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों पर कर निर्धारण एवं वसूली" पर एक समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 176.70 करोड़ रुपये वसूला गया यात्रीकर, राजकोष में जमा नहीं किया गया।*

(प्रस्तर 4.2.5)

4. स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस

बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क कम लगाए जाने के कारण शासन को 7.12 करोड़ रुपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 5.2)

5. वन विभाग

- *7,898 कुन्तल लीसा निष्कर्षण में कमी के फलस्वरूप 1.34 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति।*

(प्रस्तर 8.2)

6. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

ख. लोक निर्माण विभाग

"सरकारी आवासों एवं सरकारी अतिथिगृहों से किराया प्राप्तियाँ" पर एक समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- *विधायक निवासों एवं अतिथिगृहों के किराया एवं अन्य प्रभारों से सम्बन्धित 2.24 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गयी।*

(प्रस्तर 9.4.4 (क))

- *सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों से सरकारी आवासों को अनधिकृत रूप से रोकने पर 1.23 करोड़ रुपये दण्डात्मक किराये की वसूली नहीं की गयी।*

(प्रस्तर 9.4.5)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय 1 : सामान्य

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	4
1.3	संग्रह की लागत	5
1.4	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	7
	(क) कर निर्धारण के बकाया मामले	7
	(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले	8
1.5	संग्रह का विश्लेषण	10
1.6	राजस्व के बकाये	10
1.7	लेखा परीक्षा के परिणाम	13
1.8	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	14

अध्याय 1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर–राजस्व	6305.97	6998.17	7912.31
(ख) करेतर राजस्व	1318.49	1291.71	1475.06
योग	**7624.46**	**8289.88**	**9387.37**
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय अंश करों में राज्य का भाग	6072.38	7114.70	5768.92[1]
(ख) सहायक अनुदान	2331.73	2166.53	2222.40
योग	**8404.11**	**9281.23**	**7991.32**
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	16028.57	17571.11	17378.69
IV. I से III की प्रतिशतता	48	47	54

1 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1998–99 के वित्त लेखों में "लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11" देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में लेखा शीर्षक–कर राजस्व के अन्तर्गत 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर राज्यों को समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्से' के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

(I) वर्ष 1998–99 के लिए कर राजस्व का विवरण साथ ही पूर्ववर्ती दो वर्षो के आंकड़े नीचे सारिणी में दिये गयें है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1997-98 के सन्दर्भ में 1998-99 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	1997-98 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1. व्यापार कर	2827.41	3083.44	3377.89	(+) 294.45	(+) 9.55
2. राज्य आबकारी	1322.91	1404.09	1631.34	(+) 227.25	(+) 16.18
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	875.06	956.00	1031.78	(+) 75.78	(+) 7.93
4. मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	590.77	815.55	1008.76	(+) 193.21	(+) 23.69
5. माल एवं यात्रियों पर कर	221.43	222.36	238.18	(+) 15.82	(+) 7.11
6. वाहनों पर कर	139.54	166.60	211.30	(+) 44.70	(+) 26.83
7. गन्ने के क्रय पर कर	55.01	35.95	71.02	(+) 35.07	(+) 97.55
8. विद्युत पर कर और शुल्क	78.32	110.88	100.85	(-) 10.03	(-) 9.05
9. भू–राजस्व	72.62	66.57	88.34	(+) 21.77	(+) 32.70
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	--	0.21	शून्य	(-) 0.21	(-) 100.00
11. कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	1.20	3.33	0.01	(-) 3.32	(-) 99.00
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	115.56	126.84	136.87	(+) 10.03	(+) 7.91
13. अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	6.14	6.35	15.97	(+) 9.62	(+) 151.50
योग	**6305.97**	**6998.17**	**7912.31**	**(+) 914.14**	**(+) 13.06**

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 1999); प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

(II) वर्ष 1998–99 के लिए करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती दो वर्षों के ऑकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शाये गये है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1997-98 के सन्दर्भ में 1998-99 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	1997-98 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1. विविध सामान्य सेवायें	62.07	63.88	96.78	(+) 32.90	(+) 51.50
2. ब्याज प्राप्तियाँ	478.97	484.34	428.00	(-) 56.34	(-) 11.63
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	104.51	113.26	125.91	(+) 12.65	(+) 11.16
4. वृहत और मध्यम सिंचाई	100.78	40.86	49.13	(+) 8.27	(+) 20.24
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	54.65	95.89	101.34	(+) 5.45	(+) 5.68
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	33.03	36.15	102.58	(+) 66.43	(+)183.76
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	159.00	151.97	145.81	(-) 6.16	(-) 4.05
8. पुलिस	59.58	47.83	74.84	(+) 27.01	(+) 56.47
9. क्राप हस्बेण्ड्री	19.55	17.91	17.53	(-) 0.38	(-) 2.12
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	16.09	12.12	17.16	(+) 5.04	(+) 41.58
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	18.85	21.78	33.02	(+) 11.24	(+) 51.61
12. लघु सिंचाई	36.75	34.10	35.09	(+) 0.99	(+) 2.90
13. सड़क एवं सेतु	20.09	19.13	22.06	(+) 2.93	(+) 15.32
14. लोक निर्माण	17.94	23.08	21.90	(-) 1.18	(-) 5.11
15. सहकारिता	5.96	4.29	4.62	(+) 0.33	(+) 7.69
16. अन्य	130.67	125.12	199.29	(+) 74.17	(+) 59.28
योग	**1318.49**	**1291.71**	**1475.06**	**(+) 183.35**	**(+) 14.19**

भिन्नता जहां पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था, (अगस्त 1999); प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 1998–99 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
क. कर राजस्व				
1. व्यापार कर	4000.00	3377.89	(-) 622.11	(-) 15.55
2. राज्य आबकारी	1697.42	1631.34	(-) 66.08	(-) 3.89
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1350.00	1031.78	(-) 318.22	(-) 23.57
4. मोटर स्प्रिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	1200.00	1008.76	(-) 191.24	(-) 15.94
5. माल एवं यात्रियों पर कर	437.60	238.18	(-) 199.42	(-) 45.57
6. वाहनों पर कर	212.40	211.30	(-)1.10	(-) 0.52
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	140.76	136.87	(-)3.89	(-) 2.76
8. गन्ने के क्रय पर कर	141.83	71.02	(-) 70.81	(-) 49.93
9. विद्युत पर कर और शुल्क	136.00	100.85	(-) 35.15	(-) 25.85
10. भू–राजस्व	46.75	88.34	(+) 41.59	(+) 88.96

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
ख. करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवायें	375.16	96.78	(-) 278.38	(-) 74.20
2. ब्याज प्राप्तियाँ	439.51	428.00	(-) 11.51	(-) 2.61
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	200.90	125.91	(-) 74.99	(-) 37.32
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	166.74	49.13	(-) 117.61	(-) 70.53
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	77.93	101.34	(+) 23.41	(+) 30.04
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	300.00	145.81	(-) 154.19	(-) 51.40

अधिकांश लेखा शीर्षों के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व में बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता यह इंगित करती है कि मूल बजट अनुमान अयथार्थवादी आंकलन पर आधारित रहे जैसा कि वर्ष 1996–97 के वास्तविक वृद्धि सम्बन्धी रूझान के सन्दर्भ में देखा गया है।

आबकारी विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 1999) कि वर्ष 1997–98 की तुलना में वर्ष 1998–99 में 24 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आंकलन के अनुरूप नहीं रही क्योंकि मोटर स्प्रिट और डीजल आयल पर कर की पुनरीक्षित दरों में वृद्धि दिनांक 1.4.1998 के बजाय 4.7.1998 से प्रभावी की गयी तथा भारत सरकार द्वारा डीजल आयल की दरों में वर्ष 1998–99 में तीन बार कमी की गई।

भिन्नता जहां अन्य विभागों के सम्बन्ध में पर्याप्त थी, के कारण यद्यपि राज्य सरकार से मंगाया गया था (अगस्त 1999); प्राप्त नहीं हुए हैं(सितम्बर 1999)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 1996–97, 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल

संग्रह पर हुए व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 1997–98 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1997-98 के लिए अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5	6
1. व्यापार कर	1996-97	2827.41	45.90	1.6	
	1997-98	3083.44	85.32	2.8	1.28
	1998-99	3377.89	80.51	2.4	
2. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	1996-97	360.97	10.91	3.0	
	1997-98	388.96	15.00	3.8	2.65
	1998-99	449.48	14.21	3.2	
3. राज्य आबकारी	1996-97	1322.91	16.36	1.2	
	1997-98	1404.09	18.78	1.3	3.20
	1998-99	1631.34	24.48	1.5	
4. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1996-97	875.06	11.94	1.4	
	1997-98	956.00	16.43	1.7	3.14
	1998-99	1031.78	13.71	1.3	

लेखा शीर्ष "व्यापार कर" एवं "वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर" के अन्तर्गत संग्रह पर किया गया व्यय एवं ऐसे व्यय की सकल संग्रह की प्रतिशतता, अखिल भारतीय संग्रह लागत के औसत प्रतिशत से निरंतर अधिक रही है।

आबकारी विभाग ने बताया (नवम्बर 1999) कि संग्रह लागत 24.48 करोड़ रुपया, सकल संग्रह 2640.00 करोड़ रुपये पर है, जिसमें 1631.34 करोड़ रुपये राज्य आबकारी और 1008.76 करोड़ रुपये मोटर स्प्रिट एवं डीजल आयल का सम्मिलित है। इस प्रकार सकल संग्रह राशि पर व्यय की प्रतिशतता 1.5 प्रतिशत के बजाय 0.92 प्रतिशत है।

1.4 व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

क. कर निर्धारण के बकाया मामले

वर्ष 1994–95 से 1998–99 तक के लिए वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामलों, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामलों, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्नवत् है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	8,01,418	4,11,320	12,12,738	3,72,718	8,40,020	31.0
1995-96	9,41,134	4,28,990	13,70,124	8,07,277	5,62,847	59.0
1996-97	5,62,847	5,26,778	10,89,625	4,86,648	6,02,977	44.7
1997-98	6,69,353	4,51,315	11,20,668	7,30,551	3,90,117	65.19
1998-99	4,42,379	4,66,899	9,09,278	4,89,535	4,19,743	53.84

यह देखा गया कि वर्ष 1994–95, 1996–97 एवं 1997–98 के अन्तशेष से अनुवर्ती वर्षों के आदि शेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह स्थिति अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटि सुधार के कारण है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष विशेष का आदि शेष पूर्व वर्ष के अन्त शेष से भिन्न नहीं हो सकता है। विभाग को अभिलेखों के रख रखाव की प्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता है जिससे कि आंकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 1998–99 में निस्तारित मामले तथा 31 मार्च 1999 को लम्बित कर निर्धारण वादों का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया गया है।

कर निर्धारण वर्ष	निष्पादित मामलों की संख्या	अवशेष मामलों की संख्या
1994-95 तक	26,862	287
1995-96	25,036	1,049
1996-97	3,69,060	20,085
1997-98	57,154	3,93,542
न्यायालयों द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित वाद	11,423	4,780
योग	**4,89,535**	**4,19,743**

ख. अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

(I) वर्ष 1994–95 से 1998–99 के दौरान निष्पादन हेतु नियत अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित मामलों के साथ ही साथ वर्ष 1998–99 के अन्त में अवशेष अपील एवं पुनरीक्षण मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्न सारिणी में दर्शित है:

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
अपील के मामले						
1994-95	62,672	30,150	92,822	36,520	56,302	39
1995-96	56,302	36,715	93,017	36,138	56,879	39
1996-97	56,879	42,166	99,045	32,913	66,132	33
1997-98	66,132	48,794	1,14,926	54,932	59,994	48
1998-99	59,994	69,931	1,21,925	61,339	60,586	50

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
पुनरीक्षण के मामले						
1994-95	67,369	16,442	83,811	16,458	67,353	20
1995-96	67,353	14,374	81,727	19,853	61,894	24
1996-97	61,894	8,444	70,338	13,226	57,112	19
1997-98	57,112	9,544	66,656	16,609	50,047	25
1998-99	50,047	14,225	64,272	14,858	49,414	23

(II) 31 मार्च 1999 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया गया है:

वर्ष	31 मार्च 1999 को लम्बित	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1995 तक	124	21,116
1996	19	5,862
1997	8,931	6,502
1998	36,605	11,608
1999	14,907	4,326
योग	**60,586**	**49,414**

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 1998–99 के दौरान व्यापार कर के सकल संग्रह का विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकडों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारिणी में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूर्व निर्धारण के स्तर पर संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि	वापसी धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम 2 की 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1996-97	2640.23	130.12	13.15	2757.20	96
1997-98	2937.78	156.85	21.06	3073.57	96
1998-99	3211.84	190.51	24.46	3377.89	95

मार्च 1999 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की व्यापार कर विभाग द्वारा की गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह इंगित करती है कि कर निर्धारण के पूर्व के राजस्व संग्रह का प्रतिशत 95 से 96 के बीच रहा।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 1999 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
1.	व्यापार कर	5919.75	उपलब्ध नहीं है	5919.75 करोड़ रूपये में से 952.56 करोड़ रूपये के लिए मांग भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 1368.52 करोड़ रूपये एवं 99.25 करोड़ रूपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 343.46 करोड़ रूपये की वसूली त्रुटि सुधार पुनः विचार प्रार्थना पत्रों के कारण रूकी हुई थी। 314.97 करोड़ रूपये की मांग को अपलिखित होने की सम्भावना थी। 2840.99 करोड़ रूपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई सुनिश्चित कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
2.	गन्ने पर क्रय कर (चीनी मिले)	24.88	11.07	24.88 करोड़ रूपये में से 1.36 करोड़ रूपये की मांग भू-राजस्व के बकाये की मांग की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गई थी। 0.07 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 23.45 करोड़ रूपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	31.05	16.24	31.05 करोड़ रूपये में से 9.09 करोड़ रूपये की मांग को भू-राजस्व बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.87 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 0.15 करोड़ रूपये की मांग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 20.94 करोड़ रूपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4.	मनोरंजन कर	7.48	3.05	7.48 करोड़ रूपये में से 1.20 करोड़ रूपये की मांग को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 5.74 करोड़ रूपये एवं 0.24 करोड़ रूपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा स्थगित थी। 0.30 करोड़ रूपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
5.	विद्युत शुल्क	4.15	शून्य	4.15 करोड़ रूपये में 0.05 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 2.94 करोड़ रूपये की धनराशि जो बीमार इकाइयों से सम्बन्धित थी बी0आई0एफ0आर0 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अवशेष 1.16 करोड़ रूपये की धनराशि वसूली की प्रक्रिया में है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	5
6.	राज्य आबकारी	91.74	उपलब्ध नहीं है	91.74 करोड़ रूपये में से 10.20 करोड़ रूपये की मांग को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 79.25 करोड़ रूपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी। 2.29 करोड़ रूपये की मांग के अपलिखित होने की सम्भावना थी।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी (जून 1999); प्राप्त नहीं हुई हैं (सितम्बर 1999)।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियों एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 2546 मामलों में 1299.07 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 1998–99 के दौरान संबंधित विभागों ने 1348 मामलों में 189.36 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये, जिसमें से 170.52 करोड़ रुपये के 152 मामले वर्ष 1998–99 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 24 प्रस्तर तथा 4 समीक्षायें हैं जिसमें 1025.00 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 13 मामलों में 0.21 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि को स्वीकार कर लिया है जिसमें से

सितम्बर 1999 तक 0.07 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई थी। अवशेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1999)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1998 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून, 1999 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिए गये हैं:

(जून माह के अन्त तक)

	1997	1998	1999
1	2	3	4
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4537	4733	6429
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	11630	11147	14565
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	496.68	391.84	1648.51

30 जून, 1999 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है :

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियां सम्बन्धित हैं।
1	2	3	4	5
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	892	2602	1392.17	1977-78 से 1998-99

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियां सम्बन्धित हैं।
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2. व्यापार कर	1546	4801	104.76	1989-90 से 1998-99
3. सिंचाई	212	374	21.75	1984-85 से 1998-99
4. राज्य आबकारी	592	862	20.16	1984-85 से 1998-99
5. भू–राजस्व	736	1172	23.40	1984-85 से 1998-99
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	707	1453	14.78	1984-85 से 1998-99
7. लोक निर्माण	212	596	16.34	1984-85 से 1998-99
8. गन्ने के क्रय पर कर	97	108	10.67	1985-86 से 1998-99
9. स्टाम्प शुल्क	908	1892	14.46	1984-85 से 1998-99
10. अन्य विभाग				
क. कृषि	108	196	10.44	1989-90 से 1998-99
ख. विद्युत शुल्क	236	264	5.41	1985-86 से 1998-99
ग. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	35	53	0.25	1985-86 से 1998-99
घ. सहकारिता	88	108	12.14	1985-86 से 1998-99
ङ. मनोरंजन कर	60	84	1.78	1986-87 से 1998-99
योग	**6429**	**14565**	**1648.51**	

"गन्ने के क्रय पर कर" के अन्तर्गत 62 निरीक्षण प्रतिवेदन ऐसे हैं जिसमें प्रथम उत्तर भी नहीं प्राप्त हुए हैं।

इसे सरकार के संज्ञान में अप्रैल 1999 और अगस्त 1999 में लाया गया था, अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 1999)।

अध्याय 2

व्यापार कर

अध्याय 2 : व्यापार कर

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	17
2.2	व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश	18
2.3	व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण–पत्र	25
2.4	विशेष महत्व के बिन्दु – अनधिकृत माफी	30
2.5	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण	31
2.6	मालों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण	32
2.7	रियायती दर से कर का गलत आरोपण	32
2.8	जाली फर्म द्वारा दिए गए घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध छूट	33
2.9	केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण	34
2.10	घोषणा पत्रों का दुरुपयोग	34
2.11	अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	35
	(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत	35
	(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत	36
2.12	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	37
2.13	पंजीयन की विहित प्रक्रिया का अनुपालन न करने से राजस्व की क्षति	38
2.14	कर से गलत छूट	38

अध्याय 2 : व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में 1379 मामलों में 828.44 करोड़ रुपये के कम करारोपण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण एवं कर की अनियमित छूट आदि का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	398	758.64
2.	अनियमित छूट	281	999.03
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	60	113.50
4.	कर की गलत दर	292	1298.32
5.	माल का गलत वर्गीकरण	78	112.80
6.	आवर्त्त (टर्न ओवर) पर कर लगने से छूट जाना	11	93.18
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से संबंधित अनियमिततायें	64	196.64
8.	अंकगणितीय त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण	49	51.85
9.	अन्य अनियमिततायें	144	1074.13
10	समीक्षा (क) व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश	1	76719.17
	(ख) व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण–पत्र	1	1426.89
	योग	**1379**	**82844.15**

वर्ष 1998–99 के दौरान विभाग ने 926 मामलों में 92.37 लाख रुपये कर कम लगाया जाना स्वीकार किया, जिसमें से 72 मामले, जिनकी आच्छादित धनराशि 10.72 लाख रुपये रही, वर्ष 1998–99 की लेखा परीक्षा के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। इसमें से 52 मामलों में निहित 7.09 लाख रुपये की वसूली मार्च 1999 तक हो चुकी थी।

''व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश'' और ''व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण-पत्र'' विषयक दो समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले जिनमें 802.57 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2.2 व्यापार कर विभाग में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश

मुख्य अंश

- *1993–94 से 1997–98 के मध्य 14694 एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये जिनमें 3006.13 करोड़ रुपये कर आरोपित किंया गया। इनमें से 9491 आदेश (64.59 प्रतिशत) समयावधि के अन्तिम तिमाही में पारित किये गये, दो मण्डलों में केवल 3 व्यापारियों पर ही 692.19 करोड़ रुपये कर आरोपित किया गया था जो बकाया था।*

(प्रस्तर 2.2.4 (क))

- *कुल एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों में से, 9479 आदेश धारा 30 के अन्तर्गत पुनः खोले गये थे 2674 वाद अपील में थे और 2541 वादों में 62.48 करोड़ रुपये की मांग सृजित करतें हुए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे।*

(प्रस्तर 2.2.4(ख))

- *उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के दुरुपयोग के फलस्वरूप पारित एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश के एक एक मामले को बार बार खोला गया, यहां तक कि 7 वर्षों की अवधि में 8 बार खोला गया। केवल 4 मामलों मे ही बार बार वाद को खोले जाने से अन्तिम कर निर्धारण के अभाव में 1.20 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व की रूकावट रही।*

(प्रस्तर 2.2.4(ग))

- ***प्रति प्रेषित वाद को निर्धारित समयावधि में न निपटाये जाने के परिणामस्वरूप 10.95 करोड़ रुपये की हानि हुई।***

(प्रस्तर 2.2.5)

- ***गलत कर मुक्ति दिये जाने से 37.16 लाख रुपये की हानि हुई।***

(प्रस्तर 2.2.6)

2.2.1 प्रस्तावना

व्यापार कर, जिसे अन्य राज्यों में बिक्री कर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख श्रोत है, जो कि कुल कर राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत है। यह उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0 व्या0क0 अधि0) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के0बि0 क0अधि0) के अन्तर्गत आरोपित व एकत्रित किया जाता है।

एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उ0 प्र0 व्या0 क0 अधि0 की धारा 7 (3) व उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (उ0 प्र0 व्या0 क0 नि0) के नियम 41 (8) के अन्तर्गत पारित किये जाते हैं। अर्थदण्ड आदेश, अधिनियम की धारा 15 व अन्य दण्डात्मक धाराओं के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किये जाते हैं।

उ0 प्र0 व्या0 क0 अधि0 की धारा 30, कर निर्धारण आदेश या अपील आदेश को निरस्त करने का अधिकार प्रदान करती है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

शीर्ष स्तर पर, लखनऊ मुख्यालय स्थित कमिश्नर, व्यापार कर विभाग का प्रधान है। उसकी सहायता के लिए अपर कमिश्नर, उप कमिश्नर, सहायक कमिश्नर (स0क0) और व्यापार कर अधिकारी (व्या0क0 अधि0) हैं। प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्य 39 परिक्षेत्रों में बंटा है। प्रत्येक परिक्षेत्र एक उप कमिश्नर (प्रशासनिक) के अधीन है। परिक्षेत्र को पुनःमण्डलों में बांटा गया है और मण्डलों को खण्डों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी यथा सहायक कमिश्नर (क0 नि0) और व्यापार कर अधिकारी हैं।

2.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों को पारित किये जाने की प्रणाली की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से धारा 30 की शर्तों को पूरा करते हुए पुनः कर निर्धारण वादों को खोलने के लिए तथा अपील में गये वादों का विभाग द्वारा समुचित अनुसरण के लिये एक समीक्षा नवम्बर 1998 से मई 1999 के मध्य सम्पन्न की गयी। इस उद्देश्य के लिए 39 परिक्षेत्रों के 118 मण्डलों में से 13* परिक्षेत्रों के (106** व्यापार कर मण्डलों) की वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक की अवधि से सम्बन्धित प्रासंगिक अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जांच की गयी, कुछ रूचिकर मामले जो नियमित लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए उन्हें सम्मिलित किया गया है।

2.2.4 एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों की स्थिति तथा कर राजस्व में रूकावट

(क) वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक 106 व्यापार कर मण्डलों में की गई नमूना जांच में पारित एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों की स्थिति निम्नवत थी:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एक पक्षीय पारित कर निर्धारण आदेशों की संख्या				कुल मामलों का योग	आरोपित कर
	अप्रैल से दिसम्बर		जनवरी से मार्च			
	मामले की संख्या	कर की धनराशि	मामले की संख्या	कर की धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	1208	54.53	1941	202.91	3149	257.44
1994-95	923	22.82	1277	287.55	2200	310.37
1995-96	998	89.90	2194	493.26	3192	583.16
1996-97	749	34.14	1415	333.50	2164	367.64
1997-98	1325	163.73	2664	1323.79	3989	1487.52
योग	**5203**	**365.12**	**9491**	**2641.01**	**14694**	**3006.13**

* आगरा (2), अलीगढ़ (1), इलाहाबाद (1), कानपुर (3), लखनऊ (2), मेरठ (2) एवं वाराणसी (2)

** आगरा (12), अलीगढ़ (3), इलाहाबाद (4), कानपुर (41), लखनऊ (24), मेरठ (7) एवं वाराणसी (15)

यह देखा गया कि कुल पारित किये गये 14694 आदेशों में, जिनमें निहित कर 3006.13 करोड़ रुपये था, 9491 आदेश (64.59 प्रतिशत) को वर्ष के अन्तिम तिमाही में पारित किया गया। 3006.13 करोड़ रुपये कर का अधिकांश भाग 31 मई 1999 को विभिन्न कारणों जैसे पुनः कर का अवनिर्धारण, अपील पुनरीक्षण/वसूली की प्रक्रिया आदि से बकाया थे 14694 मामले में से 2 मण्डलों* में 3 व्यापारियों पर अकेले 692.19 करोड़ रुपये लेखांकित था, जैसा नीचे दिया गया है।

(I) व्यापार कर मण्डल आगरा के एक व्यापारी** पर आरोपित कर (मार्च 1994 और मार्च 1999) 681.02 करोड़ (1989–90 रुपया 70.49 करोड, 1990–91 रुपया 123.10 करोड़ और 1995–96 रुपया 487.43 करोड़) (मई 1999) इसलिए बकाया था कि वर्ष 1989–90 और 1995–96 के मामले (जनवरी 1999) में खोले गये और 1990–91 अपील में है।

(II) व्यापार कर मण्डल वाराणसी के दो व्यापारियों का कर निर्धारण वर्ष 1996–97 का 11.17 करोड़ रुपये (मार्च 1998) निर्धारित किया गया, और कुल धनराशि बकाया थी, क्योंकि पुनः कर निर्धारण हेतु मामले (दिसम्बर 1998) में खोले गये थे और अब भी (सितम्बर 1999) तक निस्तारित किए जाने बाकी थे।

2541 वसूली प्रमाण-पत्रों से सृजित 62.48 करोड़ रुपये की मांग बकाया रही है।

(ख) वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक पारित किये गये 14694 एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों में से 9479 आदेशों को धारा 30 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु खोला गया, 2674 अपील में थे तथा 2541 वादों में 62.48 करोड़ रुपये की मांग सृजित करते हुए, अन्तिम रूप से वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिसके विरुद्ध कोई वसूली (सितम्बर 1999) नहीं हुई थी। विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल एक पक्षीय वाद	पुनः खोला गया	अपील में	जारी वसूली प्रमाण–पत्र	
				वसूली प्रमाण-पत्र की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1993-94	3149	1628	586	935	9.19
1994-95	2200	1481	434	285	5.91
1995-96	3192	2205	601	386	9.46
1996-97	2164	1378	437	349	12.45
1997-98	3989	2787	616	586	25.47
योग	**14694**	**9479**	**2674**	**2541**	**62.48**

* आगरा, वाराणसी

** इण्डियन आयल कार्पोरेशन

(ग) इसके अलावा यह भी देखा गया कि अनेक मामलों में, जिनमें एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किए गए थे, उन वादों में बार–बार कर निर्धारण किया गया परन्तु (मई 1999) उनका निस्तारण नहीं किया जा सका। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

एक व्यापारी का वाद 7 वर्षों से अधिक अवधि तक अनिर्णीत रहा जिसके कारण 42.03 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

(I) आगरा मण्डल में सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–I व्यापार कर, के एक व्यापारी के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1981–82 के लिए 3 दिसम्बर 1991 को एक पक्षीय रूप से 42.03 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। व्यापारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 बार 17 दिसम्बर 1992, 29 सितम्बर 1993, 16 जुलाई 1994, 15 अप्रैल 1995, 18 दिसम्बर 1995, 18 सितम्बर 1996, 26 जून 1997 तथा 27 मार्च 1998 को पुनः कर निर्धारण हेतु वाद खोला गया था और वही 42.03 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। 27 मार्च 1998 के आदेश के विरूद्ध व्यापारी अपील में गया (सितम्बर 1998)। अपीलीय अधिकारी उप कमिश्नर (अपील)–1 आगरा ने 31 दिसम्बर 1998 को वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जिसका मई 1999 तक निस्तारण नहीं हुआ था। इस प्रकार वाद बार–बार धारा 30 के अन्तर्गत निर्णीत किया गया तथा सात वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वाद अनिर्णीत रहा जिसके कारण 42.03 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

धारा 30 के प्रावधानों के दुरुपयोग के फलस्वरूप कर निर्धारणवादों का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो सका और 43.68 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

(II) उक्त मण्डल में वर्ष 1980–81 के कर निर्धारण वाद में 24 दिसम्बर 1991 को एक पक्षीय रूप से 43.68 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। व्यापारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को धारा 30 के अन्तर्गत बार–बार खोला गया तथा 17 दिसम्बर 1992, 29 सितम्बर 1993, 16 जुलाई 1994, 18 दिसम्बर 1995, 18 सितम्बर 1996 तथा 26 जून 1997 को एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करके बार–बार वही कर आरोपित किया गया। मामला अभी भी अनिर्णीत है। इस प्रकार धारा 30 के प्रावधानों के दुरुपयोग के फलस्वरूप कर निर्धारणवादों का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो सका और 43.68 लाख रुपये का कर राजस्व अवरूद्ध रहा।

(III) कानपुर मण्डल में सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–VI, व्यापार कर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 1992–93 में एक पक्षीय आधार पर निर्धारित 500 लाख रुपये कर योग्य कुल विक्रय धन पर 4 जून 1994 को 42.50 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। 13 जून 1994 को आदेश प्राप्त होने पर व्यापारी ने 28 जून 1994 को धारा 30 में वाद पुनः खोलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। वाद को पुनः खोला गया और 9 दिसम्बर 1994 को पुनः वही कर आरोपित किया गया। वाद को पुनः खोला गया तथा 31 मार्च 1995 को 2.60 करोड़ के कर योग्य कुल विक्रय धन पर 21.83 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। इसके विरूद्ध व्यापारी अपील में गया जो अपीलीय प्राधिकारी यथा उपकमिश्नर (अपील) द्वारा 17 अक्टूबर 1995 को खारिज कर दिया गया। द्वितीय अपील दायर करने पर वाद को प्रतिप्रेषित कर दिया गया (6 दिसम्बर 1997)। अपील

की सुनवाई के समय व्यापारी उपस्थित नहीं हुआ तथा 28 सितम्बर 1998 को एक पक्षीय रूप से वाद को पुनः निर्णीत करते हुए 21.83 लाख रुपये कर आरोपित किया गया। इस प्रकार विगत पांच वर्षों के दौरान वाद या तो पुनः कर निर्धारण की प्रक्रिया में था अथवा अपील की प्रक्रिया में था। इसके परिणामस्वरूप 21.83 लाख रुपये का कर राजस्व अवरूद्ध रहा।

(IV) व्यापार कर कार्यालय खण्ड–2 लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि एक व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 1991–92 के वाद में 100.00 लाख रुपये के मोपेड/एसेसरीज के विक्रयधन पर 10 जनवरी 1994 को 12.50 लाख रुपये कर निर्धारित किया गया। व्यापारी द्वारा पूर्व में ही जमा किए गए 0.03 लाख रुपये का लाभ देते हुए 12.47 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित की गयी। आदेश के विरूद्ध व्यापारी अपील में गया जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित कर दिया गया। 4 अप्रैल 1996 को प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण किया गया तथा पुनः उतनी ही माँग सृजित की गयी। व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर वाद को धारा 30 के अन्तर्गत पुनः खोला गया तथा 27 मार्च 1997 को वही माँग सृजित की गई। व्यापारी पुनः अपील में गया तथा 10 दिसम्बर 1997 को अपीलीय प्राधिकारी ने वाद को पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण किया गया तथा उतना ही कर पुनः आरोपित किया गया। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप 12.47 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

विभाग ने कहा यदि शर्तें पूर्ण होती हैं तो वे धारा 30 में वाद खोलने के लिए बाध्य हैं। विभागीय उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 30 की शर्तें बहुत ही सरल होने के कारण व्यापारियों द्वारा बार–बार दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे सरकारी राजस्व के हित मे सख्त बनाये जाने की आवश्यकता है।

2.2.5 प्रतिप्रेषित वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण न किये जाने के कारण राजस्व की क्षति

प्रतिप्रेषित वाद चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनिर्णीत रहने के कारण कालबाधित हो गया और विभाग को 10.95 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

सहायक कमिश्नर (क0नि0)–VI व्यापार कर, लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह संज्ञान मे आया (मार्च 1994) कि एक व्यापारी* के इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के करयोग्य टर्नओवर पर एक पक्षीय आधार पर 1197.54 लाख रुपये कर (357.93 लाख रुपये राज्य में तथा 839.61 लाख रुपये केन्द्र में) वर्ष 1989–90 में निर्धारित किया गया। व्यापारी द्वारा पूर्व में ही जमा किए गए 102.38 लाख रुपये का लाभ देते हुए 1095.16 लाख रुपये की अतिरिक्त माँग सृजित की गयी। व्यापारी इससे क्षुब्ध होकर अपील में चला गया। अपीलीय प्राधिकारी अर्थात उप कमिश्नर

* अपट्रान इण्डिया लिमिटेड

(अपील) ने अपने निर्णय दिनांक 19 सितम्बर 1994 द्वारा वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो अभी तक (सितम्बर 1999) निस्तारित नहीं किया गया। प्रतिप्रेषित वाद को चार वर्षों से अधिक के बाद भी अन्तिम रूप से निस्तारित न किये जाने के कारण वाद कालवाधित हो गया और विभाग को 10.95 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

2.2.6 गलत छूट/वर्गीकरण

व्यापारी का सम्पूर्ण टर्नओवर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर योग्य था लेकिन गलत कर मुक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप 37.16 लाख रुपये की हानि हुई।

सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–III व्यापार कर, इलाहाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि पराग पैश्चुराइज्ड दूध के निर्माण में संलग्न एक व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1990–91 के दौरान प्राकृतिक दूध (316.07 लाख रुपये) दूध पाउडर (39.68 लाख रुपये) सफेद मक्खन (5.57 लाख रुपये) और क्रीम (1.97 लाख रुपये) मूल्य की खरीद की गई। प्राकृतिक दूध से वसा तत्व (जिस पर कर आरोपित किया जा चुका है) निकाल लेने के उपरान्त उसमें उसने दूध पाउडर, सफेद मक्खन और क्रीम मिलाकर पैश्चुराइज्ड दूध का निर्माण किया। उसने इस पैश्चुराइज्ड दूध को पाउच में भरकर 446.98 लाख रुपये मूल्य का उसी वर्ष के दौरान बिक्री की। यद्यपि 60 लाख रुपये मूल्य के पैश्चुराइज्ड दूध के कर योग्य विक्रय धन पर न्याय एवं विवेक के आधार पर 5.76 लाख रुपये का कर (जुलाई 1995) व्यापारी पर आरोपित किया गया तथा शेष टर्नओवर को प्राकृतिक दूध मानकर कर मुक्त कर दिया गया। जबकि व्यापारी का सम्पूर्ण विक्रय धन (446.98 लाख रुपये) पैश्चुराइज्ड दूध का था, जिस पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 31 जुलाई 1990 तक 8.8 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद 10 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार गलत कर मुक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप 37.16 लाख रुपये कर की हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अप्रैल 1999) कि पैश्चुराइज्ड दूध प्राकृतिक दूध की तरह कर मुक्त है। विभागीय उत्तर कमिश्नर के परिपत्र सितम्बर 1996 के परिपेक्ष्य में मान्य नहीं है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दूध जो दूध पाउडर तथा वसा आदि मिलाकर बनाया जाता है वह कर मुक्त नहीं है।

2.2.7 नियंत्रण अभिलेख

कर निर्धारण आदेशों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी से लम्बित वादों की पंजिका (आर–5 ए) कर निर्धारण पंजिका (आर–5 बी) तथा अपील एवं पुनर्विलोकन पंजिका (आर–12) के रख रखाव की अपेक्षा की जाती है। 7 मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक सभी आर–5 बी पंजिकाओं में एक पक्षीय आदेशों को दर्शाने हेतु कोई अलग से कालम नहीं बनाया गया था, जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दिये

गये आँकड़ो की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। इसी कारण से सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–XIII और III व्यापार कर, कानपुर द्वारा 1994–95 और 1996–97 के एक पक्षीय आदेशों की संख्या नहीं दी जा सकी। अधिकांश मण्डलों में पंजिका आर–12 में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित वादों की वास्तविक प्राप्त तिथि को दर्शाने हेतु कोई भी कालम नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारियों का अनिश्चित समय तक प्रतिप्रेषित वादों पर ध्यान न जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून, 1999); उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.3 व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण-पत्र

मुख्य अंश

- *वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित बकाया धनराशि 1860.66 करोड़ रुपये अभी भी वसूली हेतु बकाया थी।*

(प्रस्तर 2.3.4)

- *पाँच जिलों में 392.32 लाख रुपये वास्तविक संग्रह के विरूद्ध 4729.04 लाख रुपये का संग्रह कमिश्नर व्यापार कर को सूचित किया गया।*

(प्रस्तर 2.3.5)

- *920.19 लाख रुपये के 839 मामलों के वसूली प्रमाण–पत्र कर निर्धारण अधिकारियों को पूर्ण विवरण के अभाव में वापस कर दिये गये और उक्त राशि को मांग में से कम कर दिया गया।*

(प्रस्तर 2.3.6(क))

- *एक जिले के 9 व्यापारियों से सम्बन्धित 31 वसूली प्रमाण–पत्रों से आच्छादित 506.70 लाख रुपये की वसूली एक वर्ष से 4 वर्ष के बीच में भी नहीं की गई।*

(प्रस्तर 2.3.6 (ख))

2.3.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण के पश्चात् व्यापारी को एक सूचना जारी की जाती है कि वह

सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर निर्धारित कर की अवशेष राशि जमा कर दे। यदि कोई व्यापारी अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत देय कर अथवा अन्य राशि सूचना में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा नहीं करता है तो भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों अथवा विभागीय संग्रहण शाखा को प्राधिकृत करते हुए वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

व्यापार कर के संग्रहण का उत्तरदायित्व कमिश्नर व्यापार कर में निहित है। व्यापार कर का बकाया 14 जिलों* को छोड़ कर, जहां वसूली हेतु डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) की नियुक्ति व्यापार कर विभाग के नियंत्रण में की गयी थी राजस्व अधिकारियों (जिलामजिस्ट्रेट) द्वारा भू–राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जाता है। अक्टूबर 1998 से इन 14 जिलों में वसूली का कार्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने हेतु उप कमिश्नर (कार्यपालक) के नियंत्रण में निहित किया गया है।

2.3.3 लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र

व्यापार कर विभाग में लम्बित वसूली प्रमाण–पत्रों की सीमा तथा बहुत समय से चले आ रहे वसूल न किये गये भारी बकायों के कारणों का विश्लेषण करने की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग ने बकायों की वसूली/कमी के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है या नहीं, मार्च 1998 से जनवरी 1999 की अवधि में एक समीक्षा की गयी, जिसमें 68 जिलों में से 14 जिलों के उप कमिश्नर (कार्यपालक) तथा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) तथा 12** सदर तहसीलों के कार्यालयों के वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गयी।

2.3.4 वसूली प्रमाण–पत्रों से आच्छादित बकाया राजस्व की स्थिति

विगत चार वर्षो का एक अप्रैल को बकाया, वर्ष में सृजित की गयी मांग, वर्ष में की गयी वसूली एवं 31 मार्च को अवशेष देय की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:–

---

* आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, देहरादून, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी

** बाराबंकी, देवरिया, इटावा, हल्द्वानी, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, सीतापुर तथा सुल्तानपुर।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक.	स्थिति	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	एक अप्रैल को बकाया	793.45	879.52	1165.32	1459.36
2	वर्ष में सृजित मांग	412.60	625.63	1070.87	1195.76
3	**योग**	**1206.05**	**1505.15**	**2236.19**	**2655.12**
4	वर्ष में की गयी वसूली	326.53	339.83	776.83	794.46
5	31 मार्च को बकाया	879.52	1165.32	1459.36	1860.66
6	सम्पूर्ण बकाया पर वसूल की गयी धनराशि की प्रतिशतता	27.07	22.58	34.34	29.92

इन बकायों का वर्षवार विवरण कमिश्नर व्यापार कर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि ऐसा कोई केन्द्रीयकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

2.3.5 संग्रह आंकड़े का बढ़ाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसी किसी धनराशि के सम्बन्ध में जिसकी वसूली भू–राजस्व की भांति की जाती है, कर निर्धारण अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को अपने हस्ताक्षर युक्त एक वसूली प्रमाण–पत्र प्रेषित करेगा जिसमें देय धनराशि का उल्लेख होगा। ऐसा प्रमाण–पत्र देनदार व्यक्ति के लिए उस धनराशि की देनदारी के लिए एक पुख्ता प्रमाण होगा। वसूली प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) उसमें निहित धनराशि की वसूली की कार्यवाही उस व्यक्ति से भू–राजस्व की भांति करेगा।

बिना किसी कारण दिये संग्रह के आँकड़े 43.37 करोड़ रुपये से बढ़ा दिये गये।

5 डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के कार्यालयों में यह देखा गया कि वर्ष 1996–97 और 1997–98 में कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश को क्रमशः कुल 2140.61 लाख तथा 2588.43 लाख रुपये का संग्रह होना बताया गया था जबकि उक्त दोनों वर्षों का वास्तविक संग्रह मात्र 200.60 लाख रुपये तथा 191.72 लाख रुपये ही था जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	1996-97			1997-98		
		प्रेषित आंकड़े	वास्तविक आंकड़े	अन्तर	प्रेषित आंकड़े	वास्तविक आंकड़े	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	1075.71	57.22	1018.49	1325.35	44.91	1280.44
2.	देहरादून	152.05	19.24	132.81	205.09	28.02	177.07
3.	गोरखपुर	318.96	54.40	264.56	320.11	64.00	256.11
4.	झांसी	264.21	10.98	253.23	269.24	15.50	253.74
5.	वाराणसी	329.68	58.76	270.92	468.64	39.29	429.35
	योग	**2140.61**	**200.60**	**1940.01**	**2588.43**	**191.72**	**2396.71**

यह प्रदर्शित करता है कि उपर्युक्त अवधि में संग्रह के आंकड़े 4336.72 (1940.01+2396.71) लाख रुपये बढ़ा दिए गए थे। सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) इन बढ़े हुए आंकड़ो के कारणों को बता नहीं सके।

डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) व्यापार कर, गाजियाबाद द्वारा रखे गए मांग रजिस्टर की जाँच में यह पाया गया कि 1997–98 में विभिन्न कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 838.35 लाख रुपये के 119 वसूली प्रमाण–पत्र डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को इस आशय से भेजे गये कि उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व की भांति कर ली जाय। वर्ष 1997–98 के दौरान सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गयी दिखाई गई जबकि यह देखा गया कि ये मांगें वर्ष 1989–90 से 1995–96 से सम्बन्धित थी और व्यापारियों द्वारा समस्त राशि पहले ही समय से जमा कर दी गयी थी।

2.3.6 वसूली प्रमाण–पत्रों का अनुचित अनुसरण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं मांग की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर आरोपित कर जमा किया जायेगा। विनिर्दिष्ट समय के अन्दर यदि कर नहीं जमा किया जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति के 45 दिन बाद भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

वसूली प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी न करने के कारण 9.20 करोड़ रुपये सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(क) दो जिलो (गाजियाबाद, लखनऊ) के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) कार्यालय में वर्ष 1997–98 तक रखे गये मांग रजिस्टरों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 839 वसूली प्रमाण–पत्र जिनसे आच्छादित धनराशि 920.19 लाख रुपये थी सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को, पर्याप्त विवरण, जैसे–करदाताओं के नाम, सही पता, पिता का नाम, जमानतदारों के नाम, आदि के अभाव में वापस कर दिए गये थे। किन्तु सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों ने न तो प्रतिविधिक कार्यवाही की और न ही वसूली प्रमाण–पत्रों की प्रति जारी की। लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) ने बताया (दिसम्बर 1998) कि ये वसूली प्रमाण–पत्र आवश्यक विवरणों के साथ कर निर्धारण अधिकारियों से बार–बार अनुस्मारकों के बावजूद भी नहीं मिले।

(ख) कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 28 अप्रैल 1983 के अनुसार वसूली प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 3 माह के अन्दर वसूली की जानी चाहिए। वर्ष 1993–94 से 1997–98 के मध्य वाराणसी जनपद में अन्य जिलों से 31 वसूली प्रमाण–पत्रों से आच्छादित धनराशि 506.70 लाख रुपये 9 व्यापारियों से वसूली हेतु प्राप्त हुई थी। इसमें से 176 लाख रुपये केवल एक व्यापारी के विरूद्ध लम्बित था और वसूली प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अमीनों को नवम्बर 1995 में दिये गये थे। किन्तु जांच करते समय यह संज्ञान में आया कि अभी तक कोई वसूली नहीं की गई थी (सितम्बर 1999)।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) द्वारा कहा गया कि सम्बन्धित अमीनों से वसूली का विवरण प्राप्त किया जा रहा है और लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

2.3.7 अभिलेखों का रख–रखाव

(I) व्यापार कर मैनुअल खण्ड–III, भाग–I के अनुसार वसूली प्रमाण–पत्रों का रजिस्टर प्रपत्र आर 27 में रखा जाना था जो कि जाँच किए गये किसी भी कार्यालय में सही प्रारूप में नहीं रखा गया था।

(II) विभाग द्वारा कोई नियंत्रण अभिलेख नहीं रखे गये थे जिससे कर निर्धारण प्राधिकारियों से प्राप्त वसूली प्रमाण–पत्रों के लम्बित रहने की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके।

(III) आन्तरिक नियंत्रण की गुणवत्ता स्पष्टतः पर्याप्त नहीं थी।

मामले को विभाग/शासन को प्रेषित किया गया (अप्रैल 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.4 विशेष महत्व के बिन्दु

अनधिकृत माफी

शासन ने उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध एक बकाया माफी योजना लागू की जिसके फलस्वरूप 5.58 करोड़ रुपये अनधिकृत माफी की गयी।

शासन ने अपने आदेश दिनांक 20 मई 1998 द्वारा एक बकाया माफी योजना, कुल बकाया धनराशि पर निर्भर करते हुए, बकाया कर की धनराशि और ब्याज/अर्थदण्डकी निर्धारित धनराशि कुछ शर्तो के साथ जमा करने पर लागू किया है। प्रारम्भ में यह योजना 1 जून 1998 से 31 दिसम्बर 1998 की अवधि तक के लिए थी जिसे 31 जनवरी 1999 तक बढ़ाया गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन शासन सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश निर्गत करते हुए किसी व्यापारी के बकाया कर की धनराशि, अर्थदण्ड अथवा अन्य देय का भुगतान किश्तों में अदा करने की अनुमति दे सकता है (धारा 36); या रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के वर्तमान देय के भुगतान पर आस्थगन आदेश दे सकता है (धारा 38)। इसके अलावा अधिनियम की धारा–8 (1–सी) मे प्रावधान है कि ब्याज अथवा अर्थदण्ड कर की धनराशि में जोड़ा जायेगा और प्रत्येक दृष्टि से कर का भाग माना जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज और अर्थदण्ड को माफ करने या कम करने का उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में कोई प्रावधान नहीं है।

अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध शासकीय आदेशों के फलस्वरूप 5.58 करोड़ रुपये की अनधिकृत माफी की गयी।

यह पाया गया कि ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि 557.73 लाख रुपये शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 1 जून 1998 से 31 जनवरी 1999 तक की अवधि में माफ कर दी गयी। इस प्रकार शासन की बकाया माफी योजना, जो व्यापार कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी के परिणामस्वरूप 557.73 लाख रुपये की अनधिकृत माफी की गयी।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर (अप्रैल 1999) सरकार ने उत्तर में कहा (जून 1999) कि यद्यपि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी शासन को ब्याज/अर्थदण्ड माफ करने का सार्वभौमिक शक्ति प्राप्त है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सार्वभौमिक अधिकार राज्य विधायिका में निहित है शासन में नहीं।

2.5 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

16 मामले में परिशोधित तेल पर गलत दर से कर आरोपित करने के फलस्वरूप 4.88 करोड़ रुपये कर कम लगाया गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों द्वारा अधिसूचित दरों पर करारोपण किया जाता है। परिशोधित तेल की बिक्री पर 1 अप्रैल 1993 से 10 प्रतिशत की दर से (25 प्रतिशत अतिरिक्त कर जोड़कर) कर आरोपणीय है।

त्रुटिपूर्ण कर की दर लगाने से 4.88 करोड़ रुपये कर कम लगाया गया।

14 व्यापार कर मण्डलो* के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (मई 1996 और दिसम्बर 1998) कि कर की गलत दरों के अपनाये जाने से 16 मामलों में वर्ष 1990–91 से 1996–97 तक की अवधि में 488.38 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया। कुछ मामले उदाहरण स्वरूप नीचे दिये गये है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपणीय कर की दर अतिरिक्त कर सहित (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	सहायक कमिश्नर (क.-नि.)-I, व्यापार कर, अलीगढ़	1	1993-94 से 1995-96	परिशोधित सरसों का तेल	2340.77	10	2.5	175.56
2.	सहायक कमिश्नर (क.-नि.)-X, व्यापार कर, कानपुर	1	1994-95	परिशोधित तेल	2155.04	10	2.5	161.63
3	सहायक कमिश्नर (क.-नि.)-VIII, व्यापार कर, गाजियाबाद	2	1993-94 से 1995-96	परिशोधित तेल	1762.43	10	2.5	132.19

अलीगढ़, बलरामपुर (गोण्डा), एटा, गाजियाबाद, (3), हापुड़, झांसी, कानपुर (2), लखनऊ (2), मथुरा और सोनभद्र

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने एक मामले में 0.69 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दिया (नवम्बर 1998)।

मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1997 और मार्च 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.6 माल के गलत वर्गीकरण से कर का अवनिर्धारण

मखनिया दूध, इन्जिन का वाल्व, इमारती लकड़ी तथा पिसाई मीडिया का गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 20.27 लाख रुपये का कम करारोपण।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर जिन्हें अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो, 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

माल का गलत वर्गीकरण करने के फलस्वरूप 20.27 लाख रुपये का कम करारोपण।

4 व्यापार कर कार्यालयों* के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (अगस्त 1997 और जून 1998 के मध्य) कि 4 मामलों (मखनिया दूध, इन्जिन का वाल्व, इमारती लकड़ी तथा पिसाई मीडिया) में गलत वर्गीकरण के कारण कर की सही दरें नहीं लगायी गयी जिसके फलस्वरूप वर्ष 1992–93 से 1995–96 तक की अवधि में 20.27 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

मामले विभाग व शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (जुलाई 1997 और अगस्त 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.7 कर के रियायती दर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

सरकारी निकायों/प्रतिष्ठानों को निर्धारित घोषणा प्रपत्र पर रियायती दर की सुविधा शासन द्वारा वापस ले ली गई लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुविधा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 2.92 करोड़ रुपये कम कर का आरोपण हुआ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग अथवा निकाय या प्रतिष्ठान को माल की बिक्री निर्धारित प्रपत्र के

* बरेली, झांसी, लखनऊ और वाराणसी।

विरूद्ध की जाती है तो उस पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपणीय होगा। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। यद्यपि शासन ने यह सुविधा 14 मई 1994 से 27 सितम्बर 1994 की अवधि के लिए समाप्त कर दी थी।

त्रुटिपूर्ण रियायती दर पर कर आरोपण के फलस्वरूप 2.92 करोड़ रुपये कर का अवनिर्धारण।

2 व्यापार कर मण्डलों (लखनऊ और औरैया) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जून 1998 और अगस्त 1998) कि सरकारी संस्थानों को 14 मई 1994 से 27 सितम्बर 1994 की अवधि में की गई बिक्री पर 10 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के स्थान पर 5 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप 292 लाख रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1998 और नवम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.8 फर्जी फर्मो द्वारा दिये गये घोषणा प्रपत्रों पर कर मुक्ति

फर्जी फर्म द्वारा दिये गये घोषणा पत्र के विरूद्ध वनस्पति घी के कन्साइमेन्ट के फलस्वरूप 26.96 लाख रुपये कर की गलत छूट प्रदान की गई।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां व्यापारी अथवा निर्माता माल के स्टाक/ब्रांच ट्रांसफर पर छूट प्राप्त करने का दावा करता है तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व ट्रांसफर करने वाले पर होगा कि यह स्टाक ट्रांसफर है न कि अन्तर्प्रान्तीय बिक्री। कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नियत समय एवं तरीके से प्रपत्र' एफ' पूरी तरह से भरा हुआ प्रस्तुत करना होगा जो हस्तान्तरी द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं साथ में माल प्रेषण का साक्ष्य भी हो।

फर्जी फर्म द्वारा दिये गये घोषणा प्रपत्र पर कर मुक्ति के परिणामस्वरूप 26.96 लाख रुपये की त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति प्रदान की गई।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–IV व्यापार कर आगरा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1998) कि वर्ष 1993–94 में एक व्यापारी ने 269.61 लाख रुपये की वनस्पति घी प्रान्त बाहर के दो व्यापारियों, एक मध्यप्रदेश तथा दूसरा राजस्थान, को भेजने की घोषणा की जो 6 फार्म 'एफ' से आच्छादित थे, जो विभाग की जांच के दौरान (अप्रैल 1996) फर्जी पाये गये। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी जिसने 26.96 लाख रुपये की व्यापारी को कर मुक्ति प्रदान (नवम्बर 1995) किया था, मामले को पुनः नहीं खोला। इसके परिणामस्वरूप 26.96 लाख रुपये की त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति प्रदान की गयी।

मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.9 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

परिशोधित तेल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर सही दर से करारोपण न किए जाने के फलस्वरूप 1.16 करोड़ रुपये कर का कम आरोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय है। न्यायिक* रूप से यह अभिनिर्णीत है कि साधारण तेल तथा परिशोधित तेल दो अलग–अलग व्यापारिक वस्तुयें हैं।

अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित करने के फलस्वरूप 1.16 करोड़ रुपये कर का कम आरोपण।

2 व्यापार कर मण्डलों (शाहजहाँपुर और अलीगढ़) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1997 और जुलाई 1998) कि परिशोधित राइस ब्रान तेल और परिशोधित सरसों तेल की वर्ष 1993–94 से 1995–96 तक की अवधि में 1549.30 लाख रुपये की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर सही दर 10 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 116.20 लाख रुपये कम कर आरोपित किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1998 तथा दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.10 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

5 व्यापारियों द्वारा निश्चित अधिसूचित वस्तु के निर्माण के लिए घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग के फलस्वरूप 100.22 लाख रुपये की अनुचित छूट।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि मिथ्या अथवा गलत घोषणाओं के जारी करने के कारण खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता है, या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो व्यापारी उस राशि का देनदार होगा, जो उसने माल की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया होगा।

* सर्वश्री वी0 पी0 आयल मिल्स लि0 बनाम कमिश्नर व्यापार कर (एस0 टी0 आई0–1995–इलाहाबाद उच्च न्यायालय–74 (एस0 टी0 आई0 1998 सर्वोच्च न्यायालय–71)

घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग पर बचाए गये कर के बराबर धनराशि आरोपित न करने के फलस्वरूप 1 करोड़ रुपये की अनुचित छूट दी गयी।

5 व्यापार कर मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 1995 और जुलाई 1998 के मध्य) कि 5 मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारियों ने निश्चित अधिसूचित वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री आदि, निर्धारित घोषणाओं के विरूद्ध कर मुक्त अथवा रियायती दर से खरीदी जिसके लिये उन्हें मान्यता प्रमाण–पत्र में प्राधिकृत नहीं किया गया था। अतः व्यापारी वर्ष 1990–91 से 1995–96 की अवधि में बचाये गये कर के बराबर 100.22 लाख रुपये की धनराशि देने के उत्तरदायी रहे। इसमें से दो व्यापारियों की ही धनराशि 96.64 लाख रुपये रही।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा कि एक मामले मे 0.93 लाख रुपये की मांग सृजित कर दी गयी है (फरवरी 1998)।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997 और दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.11 अर्थदण्ड का अनारोपण

निश्चित शर्तों के अधीन निर्माणकर्त्ताओं को अधिसूचित वस्तु के निर्माण हेतु वांछित कच्चे माल पर विशेष छूट अनुमन्य है किन्तु इस माल का अन्य उद्देश्य में प्रयोग किए जाने पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 0.32 करोड़ रुपये एवं 3.84 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 0.21 करोड़ रुपये अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसके आरोपण न करने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई।

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 के अन्तर्गत निर्माताओं को कतिपय शर्तो को पूर्ण करने पर विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री आदि की खरीद पर विशेष छूट का प्रावधान है। इस प्रकार से निर्मित माल का राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाना अपेक्षित है। यदि कच्चे माल का प्रयोग मान्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित वस्तुओं में न करके अन्यथा किया जाता है अथवा इस प्रकार के कच्चे माल से निर्मित वस्तु जो रियायती दर से खरीदा गया है उसका निस्तारण बिक्री के

* आगरा (2), इलाहाबाद, मेरठ और मुजफ्फर नगर।

अलावा अन्य प्रकार से किया जाता है तो व्यापारी ऐसी धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा प्राप्त राहत की धनराशि से कम न होगी परन्तु ऐसी छूट के तीन गुने से अधिक भी न होगी।

(I) 7 व्यापार कर मण्डलों* के नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 1994 और मई 1998 के मध्य) कि 7 मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारियों ने विज्ञापित वस्तु के निर्माण हेतु वर्ष 1989–90 से 1995–96 तक की अवधि के दौरान 307.21 लाख रुपये के कच्चे माल की खरीद कर मुक्त/रियायती दर से घोषणा प्रपत्रों (प्रपत्र 3 ख) के विरूद्ध की है और उसका प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया। अतः व्यापारी न्यूनतम 31.69 लाख रुपये अर्थदण्ड के दायी थे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा कि एक मामले में 1.21 लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (जनवरी 1997)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1995 और अगस्त 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न करने के फलस्वरूप 3.84 करोड़ रुपये की हानि।

(II) सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–VI, व्यापार कर, लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया (अगस्त 1998) कि यूरिया के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 में घोषणाओं के विरूद्ध 2.5 प्रतिशत की रियायती दर से 140.17 करोड़ रुपये का प्राकृतिक गैस, फर्नेश आयल, पैकिंग मैटीरियल्स (लेमिनेटेड बैग्स) खरीदा। उक्त कच्चे माल के प्रयोग से उत्पादित यूरिया में से 180.42 करोड़ रुपये की यूरिया उसने प्रान्त बाहर अपनी शाखाओं को हस्तान्तरित कर दिया, जो कि बिक्री के अन्तर्गत नहीं आता। अतः व्यापारी कम से कम 3.84 करोड़ रुपये अर्थदण्ड का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

(ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी किसी अन्य प्रान्त के व्यापारी से कोई माल रियायती दर पर प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करके तभी खरीद सकता है जब उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित हो। पंजीयन प्रमाण–पत्र से अनाच्छादित माल के क्रय हेतु

* बुलन्दशहर, (3) झांसी (2) और लखनऊ (2)

प्रपत्र 'सी' जारी करना एक अपराध है, जिसके लिये व्यापारी अभियोजन का पात्र है। पंजीयन प्रदान करने वाला अधिकारी, यद्यपि इस अभियोजन के बदले, उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर के डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित खरीद पर 20.89 लाख रुपये के अर्थदण्ड का अनारोपण।

11 व्यापार कर मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 11 व्यापारियों द्वारा वर्ष 1989–90 और 1993–94 के मध्य घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरूद्ध 143.54 लाख रुपये मूल्य के ऐसे सामानों की खरीद की गयी जो उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र से आच्छादित नहीं थे। अतएव वे 20.89 लाख रुपये अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जो आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1998 और दिसम्बर 1998 के मध्य) कि एक मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 18.29 लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है (जनवरी 1997 और अगस्त 1998 के मध्य)।

मामले को शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1995 और अगस्त 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.12 अतिरिक्त कर का अनारोपण

प्रत्येक व्यापारी जिस पर कर देय है उसे अधिनियम के अन्तर्गत कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देना है, किन्तु 21.26 लाख रुपये कर पर अतिरिक्त कर 5.32 लाख रुपये आरोपित नहीं किया गया।

अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जिसे कर देना अपेक्षित है, उसे 1 अगस्त 1990 से कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय है।

4 व्यापार कर मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 1996 और जुलाई 1998 के मध्य) कि 4 व्यापारियों के वर्ष 1992–93 और 1995–96 की अवधि से सम्बन्धित 647.58 लाख रुपये के टर्नओवर पर 21. 26 लाख रुपये कर आरोपित किया गया किन्तु 5.32 लाख रुपये अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया।

मामला विभाग एंव शासन को संदर्भित किया गया है (अगस्त 1996 और दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

* अलीगढ़, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, हाथरस, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ओरई, वाराणसी

** फतेहपुर, कानपुर, खुर्जा और मुजफ्फर नगर

2.13 पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण राजस्व क्षति

विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र देने के लिये निर्धारित उचित जांच न करने के फलस्वरूप 60.80 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई।

अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत व्यापारी जो कर के भुगतान का दायी है, स्वयं को पंजीकृत करवायेगा। इस उद्देश्य हेतु वह सम्बन्धित खण्ड के व्यापार कर अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अपने व्यापार का पूरे विवरण सहित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। पंजीयन करने वाला अधिकारी, व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण करके, उसकी विश्वसनीयता, सही एवं पूर्ण स्थानीय तथा स्थायी पते, पूर्व का इतिहास एवं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर, पंजीयन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व व्यापारी से प्रतिभूति तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी ली जाती हैं। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भी व्यापारियों के पंजीयन हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित है।

पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के फलस्वरूप 60.80 लाख रुपये की हानि हुई।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड–III, हापुड़ के अभिलेखो की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 1998) कि एक व्यापारी के मामले में पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन नहीं किये गये। व्यापारी ने अपना पंजीयन (दिसम्बर 1993) कराने के पश्चात कर मुक्ति हेतु वर्ष 1993–94, 1995–96 तथा 1996–97 में 22 विधिक प्रपत्र प्राप्त किये तथा 420 लाख रुपये के टर्नओवर का व्यापार किया। बाद में उत्तर प्रदेश खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा सत्यापन किया गया (फरवरी 1997) और फर्म फर्जी पाया गया। परिणामस्वरूप उक्त अवधि में (कर निर्धारण मई 1997 और मार्च 1998) आरोपित कर 60.80 लाख रुपये की मांग तथा वसूली नहीं की जा सकी जिससे राजस्व की हानि हुई। विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्धारित सत्यापन उचित ढंग से न किये जाने के फलस्वरूप 60.80 लाख रुपये की क्षति हुई।

मामला सरकार, तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

2.14 त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति

खादी ग्रामोद्योग की अधिसूचित सूची में फुटवियर का नाम सूचीबद्ध मद मेंनहीं है लेकिन एक व्यापारी को 6.38 लाख रुपये की गलत छूट स्वनिर्मित जूते की बिक्री पर तथा कच्चे माल की खरीद पर प्रदान कर दी गई।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्गत शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी

1985 के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थानो द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री एवं ऐसे माल के निर्माण हेतु क्रय की गयी वस्तुओं, जो उक्त विज्ञप्ति की अनुसूची मे दर्शायी गयी है पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है। फुटवियर, अनुसूची में एक सूचीबद्ध मद नहीं है और इसलिए कर मुक्ति का हकदार नहीं है। न्यायिक रूप से भी यह निर्णीत* है कि फुटवियर उक्त विज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं है।

व्यापार कर अधिकारी, खण्ड – IX कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1998) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1995--96 में स्वनिर्मित फुटवियर की 34.16 लाख रुपये मूल्य की बिक्री की, जिस पर 3.38 लाख रुपये की कर मुक्ति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त व्यापारी ने 42.71 लाख रुपये का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया जिस पर 3 लाख रुपये क्रय कर आरोपणीय था। परिणामस्वरूप कुल 6.38 लाख रुपयें की त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति प्रदान की गयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1998); उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

---

* मेसर्स ग्रामोद्योग क्षेत्रीय समिति, ताजपुर, धामपुर, बिजनौर बनाम सी0 एस0 टी0 यू0 पी0 लखनऊ (एस0 टी0 आई0 1996 इलाहाबाद उच्च न्यायालय–154)

अध्याय 3

राज्य आबकारी

अध्याय 3 : राज्य आबकारी

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	41
3.2	अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली	41
3.3	बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का न वसूल किया जाना	42
3.4	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	43

अध्याय–3 : राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 239.53 लाख रुपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 64 मामले पाये गये जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	7	33.14
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	4	10.90
3.	ब्याज का अनारोपण	18	45.09
4.	प्रशमन शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	26	72.10
5	अन्य अनियमितताएँ	9	78.30
	योग	**64**	**239.53**

वर्ष 1998–99 में विभाग ने 62.35 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के 38 मामले स्वीकार किये। उदाहरणार्थ कुछ मामले जिसमें 95.83 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव निहित है अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

3.2 अतिरिक्त अभिकर की कम वसूली

आबकारी आयुक्त द्वारा दुकानों की नीलामी के पूर्व निर्धारित 14.30 लाख बल्क लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के विरूद्ध एक अनुज्ञापी को 7 लाख बल्क लीटर अतिरिक्त निकासी दी गयी, जिसके फलस्वरूप 70 लाख रुपये अभिकर की कम वसूली हुई।

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने एवं 1 अप्रैल 1991 से यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, आबकारी दुकानों की नीलामी से पूर्व उस आबकारी वर्ष में उठाने वाले मादक पदार्थो की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0 जी0 क्यू0) नियत करता है। यदि अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0 जी0 क्यू0) से अधिक मादक पदार्थ का उठान एवं बिक्री करना चाहता है तो मादक पदार्थ की ऐसी अतिरिक्त मात्रा के विक्रय के विशेष अधिकारों की स्वीकृति के लिये, अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दर पर (11 रुपये प्रति बल्क लीटर) उसके द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

असंवैधानिक ढंग से देशी मदिरा का कोटा बढ़ाये जाने के फलस्वरूप 70 लाख रुपये अतिरिक्त अभिकर का कम आरोपण किया गया।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मथुरा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (मार्च 1997) कि अनुज्ञापी को 7 लाख बल्क लीटर अतिरिक्त निकासी दी गयी जबकि नीलामी के समय घोषित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (14.30 लाख बल्क लीटर) थी और 11 रुपया प्रति बल्क लीटर की दर से आरोपणीय अभिकर के विरूद्ध एक रुपया प्रति बल्क लीटर की दर से 7 लाख रुपया अभिकर वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 70 लाख रुपये अभिकर की कम वसूली हुई।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, मथुरा ने बताया (मार्च 1997) कि यद्यपि अधिनियम/ नियमों में संशोधन नहीं किया गया है, सरकार द्वारा आबकारी वर्ष के मध्य में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0 जी0 क्यू0) बढ़ा दी गयी थी (अक्टूबर, 1994) और तदनुसार अभिकर लिया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नीलामी अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा आबकारी वर्ष के मध्य में बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था अतः शासन द्वारा भी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बढ़ाया जाना नियमानुकूल नहीं था।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिप्रेषित किया गया (जुलाई 1997 एवं मार्च 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

3.3 बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का न वसूल किया जाना

आबकारी शुल्क के भुगतान किये बिना निर्माताओं द्वारा बन्धाधीन बोतलों में वियर का निर्यात प्रान्त के बाहर किये जाने पर 5.24 लाख रुपये अभिकर के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली की जानी थी।

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बाटलिंग नियमावली, 1969 के अनुसार, मदिरा के प्रदेश/जिले के बाहर निर्यात की दशा में, निर्माता द्वारा एक बन्ध–पत्र निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें वह मदिरा को गन्तब्य स्थान पर पहुंचाने एवं आयात करने वाले राज्य/जिले के आबकारी प्राधिकारियों से 90 दिन के अन्दर संप्रेषण करने के आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता है। यदि अनुज्ञापी उपरोक्त अवधि के भीतर वांक्षित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उससे उसमें निहित शुल्क के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी।

नवाबगंज (गोण्डा) की यवासवनी के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 1998) में देखा गया कि 1,80,600 बोतल बियर का निर्यात (6 अप्रैल 1998 से 24 जून 1998 के मध्य) बाण्ड में बिना आबकारी शुल्क का भुगतान किए प्रान्त के बाहर किया गया, किन्तु निर्माता द्वारा 3 से 5 माह से

अधिक समय व्यतीत होने पर भी मदिरा के गन्तब्य स्थान पर सुपुर्दगी का वांक्षित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बाण्ड को निरस्त (इनवोक) करने तथा 5.24 लाख रुपये शुल्क के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 1999)।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

3.4 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

विलम्बित आबकारी राजस्व के भुगतान पर 20.59 लाख रुपये ब्याज का आरोपण एवं वसूली नहीं की गई।

29 मार्च, 1985 से यथा संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहां जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उस आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में जो अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था किन्तु संशोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया, 29 मार्च 1985 से उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित है।

बिलम्बित आबकारी राजस्व के भुगतान पर 20.59 लाख रुपये ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

8 जिला आबकारी कार्यालयों* एवं एक आसवनी (रामपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया (जुलाई 1997 तथा अक्टूबर 1998 के मध्य) कि वर्ष 1974–75 से 1996--97 तक की समयावधि से संबंधित 19.53 लाख रुपये का आबकारी राजस्व 4 से 161 माहों के विलम्ब से सितम्बर 1994 से जून 1998 के मध्य जमा किया गया। फिर भी विलम्बित भुगतान पर 20.59 लाख रुपये ब्याज आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (जनवरी 1998 एवं दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

---

1 बाँदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, कानपुर शहर, लखनऊ, रामपुर एवं सिद्धार्थ नगर

अध्याय 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय 4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	45
4.2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों पर कर निर्धारण एवं वसूली (यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0)	46

अध्याय –4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1998–99 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 157 मामलों में 216.57 करोड़ रुपये की धनराशि के करों/ शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना प्रकाश में आया जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्रीकर/अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना/ न लगाया जाना	56	683.70
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	15	52.83
3.	माल कर का कम लगाया जाना	16	36.62
4.	एक मुश्त यात्रीकर का गलत आगणन	18	102.00
5.	अन्य अनियमितताएं	51	152.25
6.	"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों के कर निर्धारण एवं वसूली" पर समीक्षा	01	20630.00
	योग	**157**	**21657.40**

वर्ष 1998–99 के दौरान विभाग ने 7 मामलों में निहित 67.01 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया।

'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों के कर निर्धारण एवं वसूली' से सम्बन्धित एक समीक्षा जिसमें 206.30 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित है उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

4.2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों पर कर निर्धारण एवं वसूली (यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0)

मुख्य अंश

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रियों से वसूले गये 176.70 करोड़ रुपये यात्रीकर का कम जमा किया जाना।

(प्रस्तर 4.2.5)

- 740 परमिट धारकों से परमिट फीस वसूल न करने से 78 लाख रुपये की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 4.2.6)

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माल वाहक वाहनों पर मालकर का निर्धारण न किये जाने से 61 लाख रुपये की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 4.2.7)

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा विलम्ब से यात्रीकर जमा करने पर अर्थदण्ड आरोपण न करने से 23.58 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 4.2.8)

4.2.1 *प्रस्तावना*

संयुक्त प्रान्त मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमशः मार्गकर, यात्रीकर और मालकर का आरोपण किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0) को उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 में कुछ विशेष प्रावधानों को समाहित करके यात्रीकर के भुगतान में कुछ छूट प्रदान की गयी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा में की गई यात्रा के लिए संग्रहीत यात्रीकर एवं वास्तविक किराए के 4/29 धनराशि को जोड़कर प्रति माह देय है।

यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1972 में की गयी थी। निगम के पास वर्ष 1997–98 के दौरान कुल औसत

समूह शक्ति 7352 तथा 846 अनुबन्धित वाहनों की थी। निगम 2305 मार्गों पर एक निर्धारित समय पर औसतन 6396 वाहनों को चलाया तथा 956 वाहनों कोअतिरिक्त वाहन के रूप में अनुरक्षित रखा।

4.2.2 *संगठनात्मक ढांचा*

शुल्क और करों के आरोपण एवं वसूली की पूरी जिम्मेदारी राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0 आ0) की है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों के मार्गकर और मालकर का निर्धारण एवं वसूली सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0 प0 अ0), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0 स0 प0 अ0) द्वारा किया जाता है। मार्च 1996 तक यात्रीकर की वसूली सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाती थी और उसके बाद अप्रैल 1996 से इसकी वसूली परिवहन आयुक्त द्वारा की जाती है।

राज्य में कर निर्धारण एवं वसूली हेतु 17 सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यरत हैं।

4.2.3 *लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र*

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले वाहनों पर कर निर्धारण एवं वसूली में परिवहन विभाग की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने हेतु राज्य सड़क परिवहन आयुक्त, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (क्षेत्रीय प्रबन्धक और सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित) 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों* तथा 4 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों** के वर्ष 1993–94 से 1998–99 (जनवरी 1999 तक) के अभिलेखों की नमूना जाँच नवम्बर 1998 और मई 1999 के मध्य की गयी।

4.2.4 *राजस्व की स्थिति*

वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि में संग्रह किए गए मार्गकर, मालकर और यात्रीकर की स्थिति निम्नवत थी:–

---

* स0 प0 अ0– आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, काठगोदाम, लखनऊ एवं वाराणसी।

** स0 स0 प0 अ0– मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फर नगर एवं ऋषिकेश।

(लाख रुपये में)

वर्ष	मार्गकर की वसूली	मालकर की वसूली	संग्रहीत यात्रीकर		योग
			निजी क्षेत्र से	उ0प्र0 रा0 स0प0नि0 से	
1	2	3	4	5	6
1993-94	9866.33	6187.29	5844.40	6603	28501.02
1994-95	10748.19	7912.47	6290.48	5021	29972.14
1995-96	12377.73	10089.24	6625.09	5087	34179.06
1996-97	13860.75	10703.04	6783.70	4403	35750.49
1997-98	15407.34	11786.18	6918.77	2801	36913.29

नोटः—1. उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम से संग्रहीत यात्रीकर के आकड़ें में वर्तमान कर एवं बकाया कर का संग्रह सम्मिलित है।

नोट :— 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और निजी क्षेत्रों के मार्गकर तथा मालकर की वसूली के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 द्वारा संग्रहीत यात्रीकर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष दर वर्ष कमी का ही रूख रहा जबकि सभी अधिसूचित मार्ग यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 द्वारा ही आच्छादित थे और वाहनों की संख्या भी कमोवेश वही थी और मई 1996 से मार्च 1997 के मध्य चार बार किराये में बढ़ोत्तरी की गई थी।

4.2.5 *यात्रीकर की वसूली/जमा में गिरावट*

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, राज्य में प्रक्रम वाहनों से यात्रियों द्वारा की गयी यात्रा पर वाहन स्वामियों को देय किराये का विहित 16 प्रतिशत की दर से यात्रीकर आरोपित किया जाता है। यात्रीकर का संग्रहण वाहन स्वामी द्वारा किया जाता है तथा राजकोष में जमा किया जाता है।

परिवहन आयुक्त द्वारा वर्ष 1995—96 से 1997—98 की अवधि के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से निर्धारित यात्रीकर संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करने में विभाग असफल रहा। वर्ष 1993—94 तथा 1994—95 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर

प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संग्रहीत पूर्ण यात्रीकर राजकोष में नहीं जमा किया गया और निगम द्वारा 176.70 करोड़ रुपये रोक रखना अनियमित था। विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	यात्रीकर संग्रह का लक्ष्य	उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 द्वारा संग्रहीत यात्रीकर	राजकोष में जमा किया गया यात्रीकर	उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 द्वारा रोकी गयी धनराशि
1993-94	—	7222.82	6242.99	979.83
1994-95	—	7347.75	4618.74	2729.01
1995-96	7031.00	8173.00	4663.07	3509.93
1996-97	10600.00	7513.00	3006.77	4506.23
1997-98	10600.00	7626.00	2691.00	4935.00
1998-99 (मई 1998 तक)	—	1526.00	516.00	1010.00
योग		**39408.57**	**21738.57**	**17670.00**

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों में देनदारी अलग से दर्शाये जाने के बावजूद कम जमा धनराशि की वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गयी।

4.2.6 *परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना*

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में यह व्यवस्था है कि कोई वाहन स्वामी परिवहन वाहन का सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग नहीं करेगा बशर्ते कि परिक्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार ऐसे वाहन का प्रयोग उस स्थान पर और उसी ढंग से किया जा रहा हो जिसके प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया हो।

78 लाख रुपये परमिट फीस की वसूली नही की गयी थी।

5 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों* में पाया गया कि 133 वाहन जो 40 प्रक्रम वाहनों को जारी परमिट से आच्छादित रहे, 3.12 लाख रुपये परमिट फीस वसूली योग्य था, लेकिन 640 रुपये की ही वसूली की गई। इसी प्रकार 112 स्थायी परमिट जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को जारी किये गये थे, नवीनीकरण नहीं किया गया। फलस्वरूप 6.72 लाख रुपये परमिट फीस की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त 23 मामलों में 27 फरवरी 1993 से 26 जून 1993 की अवधि

* आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी

के लिए अस्थायी परमिट जारी किये गये लेकिन इसके बाद न तो नये अस्थायी परमिट प्राप्त किये गये न ही वाहनों के प्रपत्र समर्पित किए गए। फलतः 11.84 लाख रुपये परमिट फीस की वसूली नहीं हुयी । पुनः 965 प्रक्रम वाहनों के मामलों में विभाग द्वारा विहित घोषणापत्र प्राप्त किए बिना ही नियमित मार्ग कर स्वीकार किया जाता रहा और इन मामलों में 56.33 लाख रुपये परमिट फीस की वसूली नहीं की गयी। इस प्रकार परमिट फीस की वसूली न होने के फलस्वरूप अप्रैल 1993 से जनवरी 1999 की अवधि में 78 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई।

4.2.7 *उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माल वाहक वाहनों पर मालकर का निर्धारण न किया जाना*

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत निजी वाहनों से राज्य में सड़क द्वारा की गयी सभी माल ढुलाई पर कर का आरोपण एवं भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा। परिवहन आयुक्त के पत्र 23 जुलाई 1994 के अनुसार मालकर अधिकारियों से अपेक्षित था कि राज्य सड़क परिवहन निगम के माल वाहक वाहनों पर मालकर का निर्धारण करें।

निजी भार वाहन की भांति चल रहे माल वाहक वाहनों पर माल कर के निर्धारण न करने के फलस्वरूप 61 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के कार्यालय में देखा गया कि 188 निजी माल वाहक वाहन जिनका पंजीकरण सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियंत्रण में निजी भार वाहन की भांति चल रहे थे फिर भी मालकर अधिकारियों द्वारा वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि में मालकर का निर्धारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 61 लाख रुपये राजस्व की वसूली नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा में इसको इंगित किये जाने पर, एक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (गाजियाबाद) ने बताया (दिसम्बर 1998) कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मांग पत्र भेजा जा चुका है।

4.2.8 *यात्रीकर के विलम्ब से भुगतान किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना*

अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जब किसी प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले किसी माह या उसके भाग का कुल या आंशिक कर अगले माह की 15 तारीख या उसके पहले तक वाहन स्वामी द्वारा जमा नहीं किया जाता तो कर अधिकारी प्रचालक को कारण बताओं का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कर का अधिकतम 25 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

यात्रीकर का विलम्ब से भुगतान किये जाने पर 23.58 करोड़ रुपये अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा 12 सम्भागों/ उपसम्भागों में यह पाया गया कि वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 94.34 करोड़ रुपये यात्रीकर एक माह से एक वर्ष विलम्ब से राजकोष में जमा किया था परन्तु विलम्ब से जमा करने के लिए आरोपणीय 23.58 करोड़ रुपये अर्थदण्ड आरोपित/वसूल नहीं किया गया।

4.2.9 निर्धारित परिलेखों (रिटर्न) का प्रस्तुत न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत प्रत्येक फ्लीट स्वामी एक मासिक घोषणा–पत्र (फार्म III बी में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें यात्री किराया तथा यात्रीकर से हुई आय एवं मुफ्त टिकटों तथा रियायती टिकटों का लेखा अलग दर्शाया जायेगा। एक अलग मासिक विवरणी कर अधिकारी को प्रस्तुत की जानी होती है, जिसमें निर्गत किये गये टिकटों की संख्या, भाड़े की राशि एवं यात्रीकर जमा करने का ब्योरा अंकित रहता है।

निर्धारित परिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने पर 4.63 करोड़ रुपये अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

15 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय कार्यालयों* के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इन परिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था और जहां प्रस्तुत किया गया था वह अपूर्ण था लेकिन निर्धारित दर (10 रुपये प्रतिदिन इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रति वाहन प्रति रिटर्न अधिकतम 100 रुपये) से अर्थदण्ड उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर आरोपित नहीं किया गया। फलस्वरूप 1993–94 से 1997–98 की अवधि में 4.63 करोड़ रुपये आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गई।

ये मामले विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए गए (जून 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

* संभागीय परिवहन अधिकारी–आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, काठगोदाम, लखनऊ और वाराणसी

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी–मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फर नगर और ऋषिकेश

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

अध्याय 5 : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	53
5.2	बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा किए जाने से राजस्व हानि	53
5.3	सम्पत्ति के गलत मूल्याकंन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	54
5.4	स्टाम्प शुल्क में अनियमित छूट	55

अध्याय – 5 : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 की लेखापरीक्षा के दौरान जिला निबंधकों, उपनिबंधकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 243 मामलों में 11.52 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों मे आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	213	290.70
2.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	15	87.72
3.	बाँण्डों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा किया जाना	2	712.25
4.	अन्य अनियमितताएँ	13	61.49
	योग	**243**	**1152.16**

वर्ष 1998–99 में 58 मामलों मे विभाग ने 88.11 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को दर्शाने वाले 7.85 करोड़ रुपये के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

5.2 बाँण्डों पर स्टाम्प शुल्क कम जमा किये जाने से राजस्व हानि

यू0 पी0 एफ0 सी0 एवं पिकप द्वारा वचन पत्र के रूप मे निर्गत बाँण्डों पर स्टाम्प शुल्क का ठीक से जमा न कराये जाने से क्रमशः 4.62 करोड़ एवं 2.50 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम जमा किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी विलेख की उचित स्टाम्प शुल्क प्रभार्यता उसकी विषय वस्तु

के अनुसार निर्धारित की जाती है, न कि निष्पादन कर्त्ता द्वारा दी गयी टाइटिल के अनुसार। स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची –1 के अनुच्छेद 49 (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 13 (ग) के प्रावधानों के अनुसार जब बचन–पत्र का भुगतान जारी किए जाने की तारीख अथवा निर्गमन से एक वर्ष से अधिक समय में किया जाना हो, उस पर 20 रुपये प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। तथापि केन्द्र सरकार ने 1 जून 1976 से स्टाम्प शुल्क की दरों को कम करके आधा कर दिया है।

यू0 पी0 एफ0 सी0 द्वारा निर्गत बाँण्डों पर 4.62 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया।

(क) कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू0 पी0 एफ0 सी0) की लेखा परीक्षा (जुलाई 1998) मे यह देखा गया कि निगम ने वर्ष 1993–94 से 1997–98 के मध्य 1217 बचन – पत्र के रूप में 462.27 करोड़ रुपये के बाँण्ड निर्गत किये। चूंकि बाँण्डों का भुगतान निर्गमन तिथि से एक वर्ष से अधिक बाद तक किया जाना था, इन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 10 रुपये प्रति एक हजार रुपये की दर से बाँण्डों के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य थी। इसके विरूद्ध बाँण्डों पर एक रुपया प्रति प्रमाण--पत्र की दर से केवल 1217 रुपये स्टाम्प शुल्क जमा किया गया जबकि 462.27 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क के रूप में जमा किये जाने थे, जिसके परिणामस्वरूप 462.26 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम जमा हुआ।

मामले को निगम तथा विभाग/शासन के संज्ञान में लाया गया (जुलाई 1998 व दिसम्बर 1998); उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं (सितम्बर 1999)।

पिकप द्वारा निर्गत बाँण्डों पर 2.50 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया।

(ख) लखनऊ स्थित प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ यू0 पी0 (पिकप) की लेखा परीक्षा (जुलाई 1998) में यह देखा गया कि निगम ने वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 में 1107 बचन – पत्र के रूप में क्रमशः 150 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये के बाण्ड निर्गत किये। चूंकि बाण्डों का भुगतान निर्गमन तिथि के पश्चात एक वर्ष से अधिक बाद तक किया जाना था, जिस पर स्टाम्प शुल्क 250 लाख रुपये प्रभार्य था। इसके विरूद्ध बाण्डों पर एक रुपया प्रति प्रमाण–पत्र की दर से केवल 1107 रुपये स्टाम्प शुल्क जमा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 249.99 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम जमा हुआ।

मामले को निगम, विभाग तथा शासन के संज्ञान में लाया गया (दिसम्बर 1998); उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं (सितम्बर 1999)।

5.3 सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

आवासीय भूमि का, आवासीय दर के स्थान पर कृषिदर पर मूल्यांकन करने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस 27.73 लाख रुपये कम आरोपित किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अन्तर्गत पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बाजार दर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है। अग्रेतर, कृषि इतर भूखण्ड, जो किसी नगर क्षेत्र, नगरपालिका या नगर महापालिका की नगर सीमा के अन्तर्गत आते हैं, के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों पर स्टाम्प शुल्क, जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रतिवर्गमीटर के आधार पर आरोपणीय होता है।

सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण 27.73 लाख रुपया स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित किया गया।

13 उपनिबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में (मई 1997 से सितम्बर 1998 के मध्य) देखा गया कि 29 मामलों में भूमि के विक्रय में आवासीय दर के स्थान पर कृषि दर पर मूल्यांकन किये जाने से क्रमशः 26.89 लाख रुपये एवं 0.84 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित की गयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1998 तथा जनवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

5.4 स्टाम्प शुल्क में अनियमित छूट

नजूल भूमि पर पट्टा अधिकारों में परिवर्तन करके भूमिधरी अधिकार वाले विलेख पर छः माह की अवधि के पश्चात् भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी, इसके फलस्वरूप 44.73 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई।

स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 1997 (अधिनियम की अनुसूची –1 ख के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत) छः माह की अवधि के लिए नजूल भूमि पर पट्टा अधिकारों को भूमिधरी अधिकारों में परिवर्तन के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में कमी की गई।

विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में गलत छूट दिये जाने के कारण 44.73 लाख रुपये राजस्व की क्षति हुई।

2 उपनिबन्धक कार्यालयों रामपुर एवं कानपुर नगर (मार्च 1998 तथा अक्टूबर 1998) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 15 विलेखों में नजूल भूमि पर पट्टा अधिकारों में परिवर्तन हेतु छः माह की अवधि के पश्चात भी पंजीकृत अधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गयी। इसके फलस्वरूप 44.73 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुयी।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

अध्याय 6

भू–राजस्व

अध्याय 6 : भू–राजस्व

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	57
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	57

अध्याय – 6 : भू–राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 की अवधि में लेखापरीक्षा मे किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 239 मामलों में 998.45 लाख रुपये के भू–राजस्व का न/ कम वसूल किये जाने, संग्रह प्रभार का कम वसूल किये जाने, किसान बही की आपूर्ति पर फीस की वसूली न किये जाने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	भू–राजस्व का न/ कम वसूल किया जाना	45	415.30
2.	संग्रह प्रभार की कम वसूली	79	103.13
3.	किसान बही की आपूर्ति के लिए फीस का न वसूला जाना	27	120.24
4.	अन्य अनियमितताएँ	88	359.78
	योग	**239**	**998.45**

वर्ष 1998–99 के दौरान 280.06 लाख रुपये के 197 अवनिर्धारण आदि के मामले विभाग द्वारा स्वीकार किये गये जिनमें से 6 मामलों मे निहित 5.30 लाख रुपये वर्ष 1998–99 की लेखा परीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

5.30 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामलों को अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

बाकी दारों द्वारा देयों को सीधे सम्बन्धित निकायों को भुगतान कर दिये जाने से जमा की गई धनराशि पर 5.30 लाख रुपये संग्रह प्रभार की वसूली नहीं की गयी।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 के अनुसार राजस्व अधिकारी

किसी निगम, परिषद, बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली करने की कार्यवाही करेंगे। सम्बन्धित बकायेदारों से संग्रह किये जाने वाले देयों की संग्रहीत धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाना है। जारी किये गये वसूली प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित निकायों को उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिये जाने के मामलों में अथवा जब बकायेदारों द्वारा देयों को सीधे सम्बन्धित निकायों को भुगतान कर दिया जाये तब भी संग्रह व्यय उसी दर से वसूला जाना है।

6 तहसील कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1997 तथा अक्टूबर 1998 के मध्य) कि 95 मामलों में 5.30 लाख रुपये, जिसमें धनराशि या तो बकायेदारों द्वारा सम्बन्धित निकायों के पास जमा कर दी गई थी अथवा वसूली प्रमाण–पत्र उनके द्वारा वापस ले लिए गये थे, पर संग्रह व्यय वसूल नहीं किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	तहसील का नाम	मामलों की संख्या	अवधि	वसूली प्रमाण–पत्रों में निहित धनराशि	संग्रह व्यय जो वसूल नहीं किये गये
1.	कानपुर	12	1997-98	12.37	1.24
2.	बेल्थरा रोड (बलिया)	9	1994-95 से 1995-96	5.17	0.52
3.	रायबरेली	15	1995-96 से 1997-98	6.65	0.66
4	दादरी (गौतम बुद्ध नगर)	19	1996-97 से 1998-99	12.59	1.26
5	अतरौली (अलीगढ़)	33	1996-97 से 1998-99	10.56	1.06
6.	महोबा	7	1995-96 से 1997-98	5.62	0.56
	योग	**95**		**52.96**	**5.30**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1998 से फरवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय 7 : अन्य कर प्राप्तियाँ

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	(क) विद्युत शुल्क	**59**
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	59
7.2	विद्युत शुल्क का अनारोपण	59
	(ख) गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार	**62**
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	62
7.4	गन्ना क्रय कर का गलत आस्थगन	62

अध्याय – 7: अन्य कर प्राप्तियाँ

क– विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) एवं नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की नमूना जांच से 35 मामलों में 131.66 लाख रुपये के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाए जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	25	85.11
2.	ब्याज का अनारोपण	4	2.96
3.	निरीक्षण फीस का अनारोपण	3	0.38
4.	उपभुक्त विद्युत पर विद्युत शुल्क का अनारोपण	3	43.21
	योग	**35**	**131.66**

वर्ष 1998–99 में विभाग ने 22 मामलों में 54.31 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया।

49.83 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामलों को अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है :

7.2 विद्युत शुल्क का अनारोपण

रेलवे एवं रक्षा विभाग की कालोनी के भवनों के अध्यासियों द्वारा घरेलू विद्युत उपभोग पर नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा 42.97 एवं 6.86 लाख रुपये का विद्युत शुल्क न तो आरोपित किया गया और न जमा ही किया गया।

(i) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर

अधिसूचित दरों पर आरोपणीय है। रेलवे कालोनियों के भवनों के अध्यासियों से विद्युत शुल्क के आरोपण तथा वसूली की जिम्मेदारी नामित प्राधिकारी (रेलवे) पर होती है। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत विद्युत शुल्क के भुगतान न होने की स्थिति में बकाये की धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रभार्य होगा।

रेलवे भवनों के अध्यासियों द्वारा की गई विद्युत उपभोग पर 42.97 लाख रुपये विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

3 विद्युत वितरण खण्डों (फिरोजाबाद, इलाहाबाद तथा लखनऊ) के अभिलेखों की जाँच में देखा गया (अगस्त 1997 और जनवरी 1998 के मध्य) कि रेलवे कालोनियों के भवनों के अध्यासियों द्वारा विद्युत घरेलू उपयोग हेतु उपभोग किया गया था परन्तु नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा 42.97 लाख रुपये का विद्युत शुल्क न तो आरोपित किया गया, और न जमा ही किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत शुल्क की बकाया धनराशि पर ब्याज भी प्रभार्य था। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	नामित प्राधिकारी का नाम	घरेलू उपयोग हेतु उपभुक्त ऊर्जा (लाख यूनिट में)	उपभोग की अवधि	विद्युत शुल्क दर प्रति यूनिट	देय विद्युत शुल्क की धनराशि
1	मण्डलीय अधीक्षक, उत्तर रेलवे, फिरोजाबाद	37.35	अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	1.87
		43.27	जनवरी 1997 से अक्टूबर 1997	9 पैसा	3.89
2	विद्युत फोरमैन, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद				
	(I) सूरज कुण्ड कालोनी	26.37	जुलाई 1995 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	1.32
		38.98	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1997	9 पैसा	3.51
	(II) ट्रैफिक कालोनी	19.07	जुलाई 1995 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	0.95
		11.29	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1997	9 पैसा	1.01
3	विद्युत अभियन्ता, उत्तर रेलवे, लखनऊ	424.21	जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	21.21
		102.30	जनवरी 1997 से जुलाई 1997	9 पैसा	9.21
	योग	**702.84**			**42.97**

मामला विभाग तथा शासन को सन्दर्भित किया गया (जनवरी 1998 एवं जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

(ii) शासन ने यह स्पष्ट किया था (अगस्त 1995) कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य कर्मियों को प्रभार मुक्त या रियायती दरों पर आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपभुक्त ऊर्जा की प्रभारित दर की गणना के उद्देश्य से अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण दर पर माना जायेगा। यद्यपि सामान्य दर एवं मुफ्त/ रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाता है। निर्धारित समयावधि के अन्दर विद्युत शुल्क का भुगतान न किये जाने पर बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज भी प्रभार्य होगा। रक्षा विभाग के समस्त नियुक्त प्राधिकारियों को निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने भी परिपत्र जारी किया (सितम्बर 1995) कि प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्ति की गई ऊर्जा के ऐसे सभी मामलों में विद्युत शुल्क वसूल किया जाय।

3 नियुक्त प्राधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया (मई 1998 एवं जून 1998 के मध्य) कि मार्च 1995 तथा मई 1998 के मध्य रक्षा कर्मियों को घरेलू उपभोग के लिए प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर 89.96 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति की गयी थी परन्तु 6.86 लाख रुपये विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त भुगतान न किये गये विद्युत शुल्क की धनराशि पर ब्याज भी प्रभार्य था। विवरण निम्नवत है :

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	नियुक्त प्राधिकारी का नाम	घरेलू उपयोग हेतु उपभुक्त ऊर्जा (लाख यूनिट में)	उपभोग की अवधि	विद्युत शुल्क दर प्रति यूनिट	देय विद्युत शुल्क की धनराशि
1	दुर्ग अभियन्ता, एम0 ई0 एस0 (कैन्ट) देहरादून	18.72	अप्रैल 1995 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	0.93
		21.20	जनवरी 1997 से मार्च 1998	9 पैसा	1.91
2	दुर्ग अभियन्ता, एम0 ई0 एस0 (दक्षिण) मेरठ	1.73	.दिसम्बर 1996	5 पैसा	0.09
		30.36	जनवरी 1997 से मार्च 1998	9 पैसा	2.73
3	दुर्ग अभियन्ता, एम0 ई0 एस0, क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून	10.33	मार्च 1995 से दिसम्बर 1996	5 पैसा	0.52
		7.62	जनवरी 1997 से मई 1998	9 पैसा	0.68
	योग	**89.96**			**6.86**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 1998 तथा अक्टूबर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

ख– गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 198–99 के दौरान चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की लेखा परीक्षा में किए गये नमूना जाँच में गन्ने के क्रय पर 667.61 लाख रुपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण तथा शीरे की बिक्री और आपूर्ति पर 6.49 लाख रुपये की प्रशासनिक प्रभार के क्रमशः 17 तथा 4 मामलों का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है, में आते हैं :

(लाख रुपये में)

	I- गन्ना क्रय कर		
क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	गन्ने पर क्रय कर का आस्थगन	5	297.29
2.	अन्य अनियमिततायें	12	370.32
	योग	**17**	**667.61**
	II- प्रशासनिक प्रभार		
3.	अन्य अनियमिततायें	4	6.49
	योग	**4**	**6.49**

वर्ष 1998–99 के दौरान विभाग ने 2 मामलों में 4.81 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किए जो पूर्ववर्ती वर्षों की लेखा परीक्षा में इंगित किए गये थे। 10.40 लाख रुपये के वित्तीय प्रभाव का एक मामला अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है।

7.4 गन्ना क्रय कर का गलत आस्थगन

अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध सरकार द्वारा 10.40 लाख रुपये का दिया गया आस्थगन गलत था, जिसके फलस्वरूप राजस्व वसूली आस्थगित रही और चीनी मिल को अनुचित लाभ मिला।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा –3 क के अन्तर्गत किसी भी चीनी मिल का मालिक, मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा या कराएगा जब तक वह इस

प्रकार चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने के क्रय पर आरोपणीय कर का भुगतान न कर दे। अधिनियम में शासन को कर के भुगतान का आस्थगन करने के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है।

हरदोई स्थित एक चीनी मिल के गन्ना क्रय–कर से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1998) कि कर निर्धारण वर्ष 1996–97 में मिल द्वारा देय 20.88 लाख रुपये गन्ना क्रय कर में से केवल 10.48 लाख रुपये का मिल द्वारा भुगतान किया गया और शेष 10.40 लाख रुपये की धनराशि को दो वर्षों के लिए आस्थगित कर दिया गया। अधिनियम के विरूद्ध सरकार द्वारा दिया गया आस्थगन गलत था जिसके परिणास्वरूप राजस्व वसूली स्थगित रहीं और चीनी मिल को अनुचित लाभ मिला।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी, फरवरी तथा मई 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

अध्याय 8

वन प्राप्तियाँ

अध्याय 8 : वन प्राप्तियाँ

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
8.2	कम लीसा उत्पादन के कारण हानि	65
8.3	वृक्षों का अवैध पातन	66
8.4	रायल्टी की वसूली न किया जाना	67

अध्याय –8 : वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 में सम्पन्न लेखा परीक्षा के दौरान वन विभाग के प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जाँच में पायी गयी अनियमिततायें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:–

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	रियायती दर पर वनोत्पादों का आवंटन	2	44.36
2.	लीसा विदोहन में अनियमिततायें	30	2870.34
3.	रायल्टी का गलत निर्धारण	5	34.36
4.	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	7	23.11
5.	अर्थदण्ड का अनारोपण /कम आरोपण	17	731.91
6.	तेन्दू पत्ता के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमिततायें	4	26.29
7.	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	6	76.22
8.	विविध अनियमिततायें	262	17752.55
	योग	**333**	**21559.14**

वर्ष 1998–99 की अवधि में विभाग ने 98 मामलों में 18286.92 लाख रुपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया जिसमें से 74 मामलों में निहित 17035.59 लाख रुपये वर्ष 1998–99 की लेखा परीक्षा के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

उदाहरणार्थ 1.54 करोड़ रुपये के सन्निहित कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गये है:

8.2 कम लीसा विदोहन के कारण हानि

लीसा का विदोहन निर्धारित मानदण्डों के मात्र 40 प्रतिशत होने के फलस्वरूप लीसा विदोहन में कमी रही जिसमें 1.34 करोड़ रुपये राजस्व सन्निहित है।

वन प्रभाग अपने कार्य योजना के अनुसार लीसा विदोहन के लिए चीड़ के वृक्षों का चयन करते हैं। लीसा चयनित चीड़ वृक्षों में नालियों की निश्चित संख्या बनाकर विदोहन किया जाता है। विभागीय आदेश (नवम्बर 1996), के अनुसार प्रत्येक सौ नालियों से 2 कुन्तल लीसा संग्रहण का मानदण्ड निर्धारित किया गया था।

कम लीसा विदोहन के फलस्वरूप 1.34 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति।

कुमाऊं परिक्षेत्र के दो वन प्रभागों (पश्चिमी अल्मोड़ा एवं पूर्वी अल्मोड़ा) की नमूना जांच में पता चला कि फसल वर्ष 1997 के दौरान 13,336 कुन्तल निर्धारित मानदण्डों के विपरीत मात्र 5,438 कुन्तल लीसा का विदोहन किया गया, जो निर्धारित मानदण्डों का मात्र 40 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप 7898 कुन्तल कम लीसा विदोहन से 1.34 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी रही।

लेखा परीक्षा (मई एवं जून 1998), में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि लीसा संग्रहण में कमी का कारण प्रशिक्षित एवं इच्छुक कार्यकर्त्ताओं की अनुपलब्धता थी। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विभाग ने लीसा के उचित विदोहन हेतु मेठों एवं श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए जनपद के विभिन्न भागों में (अगस्त और सितम्बर 1996) अनेक शिविर आयोजित किये थे। वास्तव में कम संग्रहण का कारण विशेष रूप से बड़े पैमाने पर चोरी थी जो प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखंड, नैनीताल की अध्यक्षता में सितम्बर 1996 में हुई बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट था।

प्रकरण शासन को जुलाई 1999 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर अप्राप्त रहा (सितम्बर 1999)।

8.3 वृक्षों का अवैध पातन

संरक्षण वृत्त में वृक्षों का वाणिज्यिक पातन निषिद्ध घोषित किया गया था किन्तु कुछ वृक्ष जिन्हें पातन हेतु चिन्हित नहीं किया गया था, का भी उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अवैध रूप से पातन किया गया, जिसके लिए विभाग द्वारा निगम के विरूद्ध 1.36 करोड़ रुपये की माँग उठाई गयी।

वनों में पर्यावरण के अनुरूप सन्तुलन बनाये रखने के लिए संरक्षण वृत्त में वृक्षों के वाणिज्यिक पातन को निषिद्ध घोषित किया गया था।

उत्तर काशी वन प्रभाग, उत्तर काशी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पता चला (अक्टूबर 1997) कि उ0 प्र0 व0 नि0 द्वारा 6358 वृक्षों को अवैध रूप से पातन किया हुआ पाया गया क्योंकि विभाग कार्ययोजना में स्वीकृत संरक्षण वृत्त में वाणिज्यिक पातन उपेक्षित किया गया जो ठीक नहीं था। जाँच अधिकारी द्वारा सघन (काम्बिंग) अभियान सम्पादन के दौरान (जुलाई 1996 से नवम्बर 1996 के मध्य) यह देखा गया कि कुछ वृक्ष जिन्हें पातन हेतु चिन्हित नहीं किया गया था, का भी निगम द्वारा अवैध रूप से पातन किया गया।

लेखा परीक्षा (अक्टूबर 1997) में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि अप्रैल 1997 में उत्तर प्रदेश वन निगम के विरूद्ध 1.36 करोड़ रुपये (वृक्षों के मूल्य हेतु 79.73 लाख रुपये एवं दण्ड स्वरूप 56.11 लाख रुपये) की मांग की गयी तथा इस त्रुटि के लिए कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण शासन को जुलाई 1999 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अप्राप्त रहा (सितम्बर 1999)।

8.4 रायल्टी की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश वन निगम ने बांसों की लाटों को अलाभकारी होने के कारण बिना सन्दोहन किये छोड़ दिया। इस प्रकार 19.79 लाख रुपये की रायल्टी की हानि के साथ ही वनों के वैज्ञानिक उपचार का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

वनोत्पाद के विक्रय हेतु (1995–96) सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार बांस के समस्त आवंटित लाटों पर रायल्टी का पूर्ण भुगतान क्रेता से अपेक्षित था चाहे उस पर कार्य किया गया अथवा नहीं। अलाभकारी होने के आधार पर बांस की कोई भी लाट बिना संदोहन के न छोड़ी जाय क्योंकि संदोहन की परम आवश्यकता वनों का वैज्ञानिक उपचार था केवल रायल्टी नहीं।

बाँसों की लाटों का सन्दोहन न किए जाने के फलस्वरूप 19.79 लाख रुपये रायल्टी की क्षति हुई।

कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग, लैन्सडाउन के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 1998) से पता चला कि कार्ययोजना के अनुसार 9874.80 हेक्टेअर क्षेत्र में आच्छादित 19.79 लाख रुपये की निहित रायल्टी के बाँसों की 683.19 कोड़ी लाटों की अनुमानित निकासी वर्ष 1997–98 के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0 प्र0 व0 नि0) को संदोहन हेतु आवंटित की गयी थी। उ0 प्र0 व0 नि0 ने इसे अलाभकारी होने के कारण बिना संदोहन किये छोड़ दिया। इस प्रकार 19.79 लाख रुपये की रायल्टी की हानि के साथ ही वनों के वैज्ञानिक उपचार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 1999 में सन्दर्भित किया गया, उत्तर अप्राप्त रहा (सितम्बर 1999)।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

अध्याय 9 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	(क) सहकारिता विभाग	**69**
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	69
9.2	संग्रह प्रभार का न/ कम जमा किया जाना	69
	(ख) लोक निर्माण विभाग	**70**
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	70
9.4	सरकारी अतिथिगृहों एवं सरकारी भवनों से किराया प्राप्तियाँ	71

अध्याय – 9 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

(क) सहकारिता विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान लेखा परीक्षा में निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 17.34 लाख रुपये की अनियमितताओं के 10 मामले पाये गये, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	संग्रह प्रभारों का न जमा किया जाना	08	17.34
2.	अन्य अनियमितताएं	02	शून्य
	योग	**10**	**17.34**

17.19 लाख रुपये के सन्निहित वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले उदाहरण स्वरूप नीचे दर्शाये गये हैं:

9.2 संग्रह प्रभारों का न/ कम जमा किया जाना

17.19 लाख रुपये संग्रह प्रभार राजकीय लेखे के बाहर रखा गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमावली के अन्तर्गत, जब ऋण देने वाली इकाइयां जैसे सहकारी समितियाँ/सहकारी बैंक आदि अपने स्वीकृत ऋणों को वसूलने मे असफल होते हैं तो उसकी वसूली हेतु निबन्धक, सहकारी समितियाँ से अनुरोध कर सकते हैं। जब इस तरह से वसूली गयी ऋण की धनराशि निबन्धक द्वारा ऋण–दाता इकाइयों को भेजी जाती है तो उनके द्वारा 10 प्रतिशत संग्रह प्रभार के रूप में राजकोष में जमा कराया जाता है।

17.19 लाख रुपये राजकीय लेखे के बाहर रखा गया जो प्रासंगिक अधिनियमानुसार गलत था।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के 5 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया (सितम्बर 1997 से अगस्त 1998 के मध्य) कि देय सम्पूर्ण संग्रह प्रभार 18.14 लाख रुपये के विरूद्ध

उनके द्वारा केवल 0.95 लाख रुपये ही राजकीय कोषागार में जमा किये गये। इसके फलस्वरूप 17.19 लाख रुपये कम जमा किये गये। विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	अवधि	राजकीय लेखे में जमा की जाने वाली धनराशि	राजकीय लेखे में जमा की गयी धनराशि	कम जमा की गयी धनराशि
1.	सहायक निबन्धक, पीलीभीत	1992-93 से 1997-98	7.85	-	7.85
2.	सहायक निबन्धक, कानपुर नगर	1995-96 से 1997-98	1.24	0.12	1.12
3.	सहायक निबन्धक, अल्मोड़ा	1990-91 से 1997-98	0.79	0.06	0.73
4.	सहायक निबन्धक, बलिया	1994-95 से 1996-97	2.26	0.23	2.03
5.	सहायक निबन्धक झांसी	1994-95 से 1996-97	6.00	0.54	5.46
	योग		**18.14**	**0.95**	**17.19**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (मार्च 1998 तथा अक्टूबर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

(ख) लोक निर्माण विभाग

9.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998–99 के दौरान लोक निर्माण विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की की गई लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में सन्निहित 6.34 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के 65 मामलों का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	01	0.10
2.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	09	1.78
3.	ठेकेदारों से व्यापार कर की वसूली न होना	01	0.41
4.	सेण्टेज प्रभारों की वसूली न होना	04	20.59
5.	अन्य अनियमितताएं	49	115.82
6.	"सरकारी अतिथिगृहों एवं सरकारी आवासों से किराया प्राप्तियाँ" पर समीक्षा	01	495.51
	योग	**65**	**634.21**

"सरकारी आवासों एवं सरकारी अतिथिगृहों से किराया प्राप्तियाँ" पर एक समीक्षा से सम्बन्धित 4.96 करोड़ रुपये के सन्निहित वित्तीय प्रभाव वाले मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गये हैं:

9.4 सरकारी आवासों एवं सरकारी अतिथिगृहों से किराया प्राप्तियाँ

मुख्य अंश

- **भंग विधानसभाओं के सदस्यों से किराये एवं अन्य देयों तथा अतिथिगृहों के कमरों के किराये की धनराशि 223.91 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।**

(प्रस्तर 9.4.4 (क))

- **अपेक्षित किराया 62.71 लाख रुपये का भुगतान किये बिना 30 आगन्तुक अतिथिगृहों में अनुमन्य अवधि से अधिक ठहरे।**

(प्रस्तर 9.4.4 (ख) (ii))

- **सरकारी आवासों में अनुमन्य अवधि से अधिक ठहरने वाले सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित कर्मचारियों से दण्डात्मक किराया 123.26 लाख रुपये की वसूली नहीं की गयी।**

(प्रस्तर 9.4.5)

- **अनधिकृत अध्यासियों से 47.36 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई।**

(प्रस्तर 9.4.6)

- **पुनरीक्षित दरों को लागू न करने के कारण शासन को 19.07 लाख रुपये की राजस्व क्षति हुई।**

[(प्रस्तर 9.4.8 (क) एवं (ख))]

9.4.1 *प्रस्तावना*

विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा की कमी के न्यूनीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार "लखनऊ स्थित राज्य कर्मचारियों तथा विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों के लिए आवासीय योजना" एवं अन्य जिला मुख्यालयों में अधिकारियों के हास्टल को सम्मिलित करते हुए " पूल्ड आवासीय योजना" के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करती है।

9.4.2 *संगठनात्मक ढाँचा*

उत्तर प्रदेश शासन का राज्य सम्पत्ति अधिकारी, (जो विभागाध्यक्ष के पद का भी उपभोग करता है) लखनऊ स्थित सरकारी आवासों एवं अतिथिगृहों के किराये की वसूली निदेशक, राज्य सम्पत्ति लखनऊ के माध्यम से परिवीक्षित है (मानिटर) करता है जबकि लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्डों के अधिशासी अभियन्ता, अन्य जिला मुख्यालयों में "पूल्ड आवासीय योजना" के अन्तर्गत सरकारी आवासों के किराये की वसूली तथा उसके समुचित लेखा के रख–रखाव हेतु उत्तरदायी हैं।

9.4.3 *लेखा परीक्षा का क्षेत्र*

सरकारी आवासों एवं अतिथिगृहों के अध्यासियों से किराये के निर्धारण एवं वसूली के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समीक्षा नवम्बर 1998 से अप्रैल 1999 के मध्य संपन्न की गयी। इस उद्देश्य हेतु निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय लखनऊ तथा लखनऊ एवं दिल्ली में स्थित विधायक निवासों एवं विभिन्न अतिथिगृहों के व्यवस्था अधिकारियों के कार्यालयों एवं 10 जिलों के 12 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों के वर्ष 1993–94 से

1997–98 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

9.4.4 *किराये की वसूली न/कम किया जाना*

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 में निहित प्रावधानों के अनुसार भंग विधानसभा के सदस्य गण उस किराये तथा अन्य प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए राज्य सम्पत्ति अधिकारी के निर्धारण के अनुसार उनके विरूद्ध बिल जारी किया गया है। इसी प्रकार राज्य सम्पत्ति विभाग, नियमावली, 1981, के अन्तर्गत अतिथिगृह व्यवस्थाधिकारी, अध्यासियों से अतिथिगृह छोड़ने से पूर्व कमरे के किराये की वसूली के लिए जिम्मेदार है।

विधायक निवासों का किराया एवं अन्य प्रभार तथा अतिथिगृहों का किराया 2.24 करोड़ रुपये नहीं वसूला गया।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी/व्यवस्थाधिकारियों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण भंग विधान सभा के सदस्यों से लखनऊ स्थित विधायक निवासों के किराये तथा अन्य देयों एवं अतिथिगृह अध्यासियों (लखनऊ एवं दिल्ली में) से कमरों का किराया 223.91 लाख रुपये की वसूली निम्नलिखित विवरणानुसार नहीं की गई :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	विधायकनिवास/ अतिथिगृह का नाम	अध्यासन की अवधि	अध्यासियों की संख्या	बकाया धनराशि
1	2	3	4	5
1.	विधायक निवास–6 लखनऊ	मई 1984 से जनवरी 1998	214	58.42
2.	विधायक निवास–2 (पुराना) लखनऊ	जुलाई 1980 से नवम्बर 1998	227	37.71
3.	विधायक निवास–1 लखनऊ	फरवरी 1987 से दिसम्बर 1998	282	35.85
4.	विशिष्ट अतिथिगृह लखनऊ	जून 1991 से अक्टूबर 1998	1391	29.06

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	विधायक निवास/ अतिथिगृह का नाम	अध्यासन की अवधि	अध्यासियों की संख्या	बकाया धनराशि
5.	विधायक निवास–4 लखनऊ	फरवरी 1975 से मार्च 1997	126	13.71
6.	राज्य अतिथिगृह, लखनऊ	अप्रैल 1993 से अक्टूबर 1998	121	12.74
7.	उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली	अगस्त 1981 से मार्च 1998	अनुपलब्ध	12.44
8.	विधायक निवास–3 लखनऊ	मई 1987 से अक्टूबर 1996	99	7.38
9.	विधायक निवास–2 (नया), लखनऊ	जुलाई 1982 से सितम्बर 1997	113	7.20
10.	बहुखंडीय मंत्री आवास लखनऊ	अक्टूबर 1989 से मार्च 1998	128	5.38
11.	विधायक निवास–5 लखनऊ	मई 1977 से नवम्बर 1993	49	3.07
12.	उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली	जून 1973 से मार्च 1998	116	0.82
13.	उत्तर प्रदेश सदन नई दिल्ली	अप्रैल 1998 से जनवरी 1999	191	0.13
		योग		**223.91**

बकायों का विश्लेषण करते समय देखा गया कि विभिन्न प्रकार के बकायेदारों की श्रेणियाँ निम्नवत् थीं :

क्रम सं0	बकाया धनराशि	सम्बद्ध बकायेदारों की संख्या
1.	50,000 रुपये से कम	2961
2.	50,000 रुपये से ऊपर एवं 1 लाख रुपये से कम	74
3.	1 लाख रुपये एवं उससे अधिक	22

(ख) –(i) शासन द्वारा निर्गत आदेशों (नवम्बर 1987) के अनुसार नई दिल्ली अतिथिगृह में आगन्तुकों को 3 दिन तक साधारण किराया का भुगतान करने पर एवं उसके पश्चात् विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए निर्धारित उच्चदर से भुगतान करने पर ठहरने के लिए मान्य किया गया है। लखनऊ अतिथिगृह हेतु शासन ने निदेशित किया (जून 1988) कि 7 दिन तक किराये की वसूली सामान्य दर से एवं उसके पश्चात् उच्चदर से की जायेगी। 31 मार्च 1998 से दोनों स्थानों के अतिथिगृहों के लिए 7 दिन तक सामान्य दर से एवं उसके बाद उच्चदर से किराये की वसूली की जानी थी।

तीन अतिथिगृहों (विशिष्ट अतिथिगृह, अति विशिष्ट अतिथिगृह लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली) के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि मई 1995 से अक्टूबर 1998 की अवधि में 27 आगन्तुक 11 से 525 दिनों तक ठहरने के बाद इन अतिथिगृहों को खाली कर दिए, जिसका किराया 4.44 लाख रुपये वसूली योग्य था। इसके विरूद्ध केवल 0.41 लाख रुपये की वसूली की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 4.03 लाख रुपये किराये की कम वसूली की गई।

अदत्त धनराशि की छान–बीन करते समय यह पाया गया कि बकाया अवधि को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

क्रम सं0	श्रेणी	बकाये दारों की संख्या
1.	दो माह से कम	13
2.	2 माह एवं 2 माह से अधिक किन्तु 6 माह से कम	8
3.	6 माह एवं 6 माह से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम	5
4.	1 वर्ष से अधिक	1
	योग	**27**

(ii) 5 अतिथिगृहों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया (जनवरी 1999) कि 30 आगन्तुक निर्धारित अवधि से अधिक लगातार अतिथिगृहों में अगस्त 1981 एवं जनवरी 1999 के मध्य (लेखा परीक्षा तिथि) ठहरे, जिनसे निम्न विवरणानुसार किराये की वसूली नहीं की गयी :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	अतिथिगृह का नाम	आगन्तुकों की संख्या	अधिक ठहरने की अवधि (दिनों में)	न वसूला गया किराया
1	2	3	4	5
1.	राज्य अतिथिगृह, लखनऊ	6	94 से 3765	9.47
2	विशिष्ट अतिथिगृह, लखनऊ	12	35 से 1735	15.29
3.	अति विशिष्ट अतिथिगृह, लखनऊ	10	67 से 584	8.20
4.	उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली	1	6384	17.63
5.	उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली	1	6028	12.12
	योग	**30**		**62.71**

अनधिकृत अध्यासन रिक्त कराने हेतु शासन के स्पष्ट आदेश (जून 1998) के बावजूद व्यवस्थाधिकारियों द्वारा उनसे कक्षों को खाली कराने एवं बकाया किराया की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

9.4.5 *सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित कर्मचारियों से किराये की वसूली न किया जाना*

जनवरी 1992 के आदेशानुसार सरकारी सेवकों को आवंटित सरकारी आवास उनके स्थानान्तरण अथवा सेवा निवृत्त/मृत्यु से एक माह के अन्दर खाली कर देना अपेक्षित है। फिर भी सेवा निवृत्त/मृत्यु के मामले में तीन माह तथा स्थानान्तरण के मामले में छ' माह तक की अग्रेतर अवधि के लिए किराये की बढ़ी दरों पर आवासीय सुविधा को बहाल रखा जा सकता है। किसी भी दशा में आवंटी को इससे अधिक ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि कोई ऐसा करता है तो अनधिकृत अध्यासी समझा जायेगा तथा शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक किराया भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

अवैध रूप से कब्जा किये हुए सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित कर्मचारियों से 1.23 करोड़ रुपये दण्डात्मक किराये की वसूली नहीं की गयी।

10 कार्यालयों* में अक्टूबर1977 से सितम्बर 1998 की अवधि में 140 कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य स्थानों पर हो गया था तथा 69 कर्मचारी सेवा निवृत्त/मृत हो चुके थे किन्तु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनुरक्षण खण्डों को कोई सूचना नहीं भेजी गई जिसके फलस्वरूप सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना 1 से 129 माह की अवधि तक उनका आवंटित

* निदेशक राज्य सम्पत्ति लखनऊ, निर्माण खण्ड –1 (आगरा, इलाहाबाद एवं बरेली), निर्माण खण्ड –II (कानपुर एवं गाजियाबाद), प्रान्तीय खण्ड, मेरठ, विधायक निवास –3 लखनऊ, अनुरक्षण खण्ड–I एवं अनुरक्षण खण्ड – III लखनऊ

सरकारी आवासों पर कब्जा बना रहा और उनसे देय 123.26 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी।

9.4.6 *अनधिकृत अध्यासियों से किराया वसूल न किया जाना*

सरकारी निवास स्थान आवंटन (सामान्य पूल व्यवस्था लखनऊ में) नियमावली 1980 में निहित प्रावधानों के अनुसार सरकारी आवासों में कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के नहीं ठहरेगा, उसकी अनुपस्थिति में अनधिकृत अध्यासी समझा जायेगा। शासन द्वारा आगे निर्देशित किया गया (दिसम्बर 1988) कि अनधिकृत अध्यासियों से निर्धारित दरों पर क्षतिपूर्ति वसूला जायेगा।

7 कार्यालयों की नमूना जाँच में देखा गया कि 115 अध्यासी अपने आवंटन निरस्त/समाप्त होने के पश्चात अथवा बिना किसी आवंटन के 1 माह से 98 माह की अवधि तक सरकारी आवासों पर अनधिकृत रूप से अध्यासित रहे :

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	अध्यासियों की संख्या	अनधिकृत अध्यासन की अवधि (माह में)	दण्डात्मक किराये की धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ	7	59-95	5.77
2.	विधायक निवास–6, लखनऊ	3	56-61	5.28
3.	निदेशक, राज्य सम्पत्ति, लखनऊ	13	16-84	12.09
4.	विधायक निवास–1, लखनऊ	9	12.79	3.60
5.	निर्माण खण्ड–1, लो0 नि0 वि0, आगरा	7	10-98	2.20
6.	बहुखण्डीय मंत्री आवास, लखनऊ	48	2-39	13.55
7.	विधायक निवास–3, लखनऊ	28	1-93	4.87
	योग	**115**		**47.36**

अनधिकृत कब्जेदारों से 47.36 लाख रुपये किराये की वसूली नहीं की गयी।

इन अनधिकृत अध्यासियों से (फरवरी 1999 तक) दण्डात्मक किराये के रूप में 47.36 लाख रुपये निकलता है। इनमें से 83 अध्यासी 24.07 लाख रुपये का बिना भुगतान किये ही अपने आवासों को खाली करके चले गये थे और 32 अध्यासियों ने अभी भी अपना आवास स्थान बनाये रखा (फरवरी 1999)। विभाग ने अध्यासियों को निष्कासित करने अथवा किराया वसूलने हेतु अभी तक (सितम्बर 1999) कोई कार्यवाही नहीं की।

9.4.7 *शिकमी किराये दारों के विरूद्ध किराया निर्धारित न किया जाना*

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा निर्गत नियमावली में समाविष्ट निर्देशों (अप्रैल 1978) के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूल्ड विभागीय आवासीय योजना के अन्तर्गत किरायेदारी के लिए अधिकृत नहीं होगा जब तक वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए आवंटी का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिसके पक्ष में आवंटन हुआ है और इसमें वे अध्यासी सम्मिलित हैं जिनके आवंटन वैध हैं।

निर्माण खण्ड –2 कानपुर एवं गाजियाबाद और प्रान्तीय खण्ड मेरठ में देखा गया कि 10 आवंटियों ने इस तथ्य के बावजूद कि शिकमी किरायेदारी नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है अपने आवासों के कब्जे जुलाई 1976 व मई 1996 के मध्य अनधिकृत रूप से अनावंटियों को हस्तगत कर दिये। इनमें से 5 व्यक्ति अभी भी अनधिकृत रूप से काबिज हैं और शासन ने न तो आवास रिक्त कराने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही 6.26 लाख रुपये किराये की वसूली (दण्डात्मक दर से गणना करने पर) की।

9.4.8 *संशोधित दर से किराया वसूल न किया जाना*

(क) विधान मण्डल के वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त अन्य आवंटियों से विधायक निवास के कक्ष श्रेणी "क" और "ख" से वसूले जाने वाले किराये को बढ़ाकर क्रमशः 9 रुपये से 20 रुपये प्रतिदिन (1 जनवरी 1988 से प्रभावी) और 7 रुपये से 15 रुपये (1 जुलाई 1988 से प्रभावी)कर दिया गया था। ये दरे 17 जनवरी 1993 तक लागू रही।

विधायक निवास 1,2 (पुराना) व 5 लखनऊ में देखा गया कि बढ़ी दरों को लागू नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1988 से 17 जनवरी 1993 के मध्य किराये के अवनिर्धारण के कारण शासन को 9.25 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(ख) शासन द्वारा निर्गत आदेशों (दिसम्बर 1988) के अनुसार सभी सरकारी आवासों का किराया उनके रिहायशी क्षेत्र (लिविंग एरिया) के आधार पर 1 जुलाई 1988 से संशोधित होना था। आवासों के अनुरक्षण पर खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शासन ने (अगस्त, 1998) आवासों के वर्तमान मासिक किराये को 1 अगस्त, 1998 से दो गुना करने के आदेश पारित किये।

निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद में यह देखा गया कि रिहायशी क्षेत्र के आधार पर किराये के संशोधन के आदेश मई 1990 से ही प्रभावी किये गये। इसके फलस्वरूप जुलाई 1988 से अप्रैल 1990 की अवधि में 646 अध्यासियों से 3.03 लाख रुपये का किराया कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त निर्माण खण्ड–2 कानपुर, निर्माण खण्ड–1 इलाहाबाद और वाराणसी ने

किराये की वर्तमान दरों को अगस्त, 1998 से दो गुनी दर पर निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण सरकारी आवासों के 1866 अध्यासियों से 6.79 लाख रुपये किराया न तो निर्धारित किया जा सका और न ही वसूला जा सका।

(ग) शासन द्वारा निर्गत आदेश (दिसम्बर 1988) के अनुसार 1 जुलाई 1988 से ऐसे अध्यासियों से जो सरकारी अधिकारी /कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनसे एक मुश्त दर के दो गुने दर से किराया वसूला जायेगा।

लोक निर्माण विभाग के 6 खण्डों* एवं ट्रांजिट होस्टल, लखनऊ में देखा गया कि इस श्रेणी के 57 अध्यासियों से दो गुने दर से किराया न लेकर एक मुश्त दर से किराया लिया गया, जिसके फलस्वरूप जुलाई 1988 से मार्च 1999 की अवधि में 8.91 लाख रुपये किराया कम वसूला गया।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (जून 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1999)।

लखनऊ

दिनांक 6-8-2000

पी. मुखर्जी

(पी. मुखर्जी)

महालेखाकार

(लेखा परीक्षा)–II उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 27-3-2000

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

---

* निर्माण खण्ड–I लोक निर्माण विभाग (इलाहाबाद एवं गोरखपुर), निर्माण खण्ड–II लोक निर्माण विभाग (गाजियाबाद एवं कानपुर), प्रान्तीय खण्ड– मेरठ एवं अनुरक्षण खण्ड–III लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।